


वन संरक्षण अधिनियम १९८० में  
निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद  
रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी  
माई की मढी के भवनों के निर्माण  
हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली  
जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क०स०  
०६ अ में रकवा ०.२६० है० अर्थात् १३  
नाली वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी

प्रस्ताव ।

-: प्रभार प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के भवन निर्माण हेतु स्थान जखोली, तहसील जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी, क0सं0 6(अ) में रकवा 0.260 हे0(0.264 है) अर्थात 13 नाली वन भूमि का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मंजूरी हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की ओर से ऑनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में निम्न कर्मी (अंकित विवरणानुसार)को अधिकृत किया जाता है :-

1. नाम: श्री मदन प्रकाश मिश्रा
2. पदनाम: आरक्षी 51 नागरिक पुलिस
3. ईमेल आईडी0: [madanmishra29@gmail.com](mailto:madanmishra29@gmail.com)
4. मो0नम्बर: 8057126833
5. नियुक्ति स्थल: पुलिस कार्यालय रुद्रप्रयाग।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

## अनुक्रमणिका।

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या
1.	फैक्स सीट	01-02
2.	प्रतिवेदन	03-04
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र	05-11
4.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	12-19
5.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट(प्रमाण पत्र)	20-21
6.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाणीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट( SIR )	22
7.	1:50,000 पैमाने का टोपोगीट मानचित्र	23-25
8.	डिजीटल मैप(प्रपत्र-7)	26-27
9.	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	28
10.	विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उसके निरस्त किये जाने का कारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र	29
11.	परियोजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	30
12.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल	31-34
13.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र	35
14.	कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र	36
15.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	37-45
16.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र	46
17.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र।	47
18.	मुख्य जीव वन्य प्रतिपालक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र(लागू नहीं)	48
19.	प्रस्तावित वन भूमि सेंचुरेरी क्षेत्र में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	49
20.	आम समा का अनापत्ति प्रमाण पत्र	50
21.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र	51-57
22.	ले आउट प्लान/मदवार विवरण	58-77
23.	भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	78-82
24.	जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	83-84
25.	मानक शर्तें	85-86
26.	धार्मिक/पौराणिक ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण पत्र	87
27.	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र	88
28.	परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	89
29.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण पत्र।	90-94
30.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण पत्र।(यदि लागू हो)	95
31.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तावर्षीय योजना का प्राक्कलन	96-98
32.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तावर्षीय प्राक्कलन।(1.00 हे० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	99-101
33.	मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण	102-104
34.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की घनराशि का आंकलन।	105
35.	एन०पी०वी०की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई घनराशि का वन विभाग को मुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र।	106
36.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन(यदि लागू हो)	107
37.	आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्राक्कलित व्यय वहन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	108
38.	लीज अवधि का प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)	109
39.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र	110

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जासखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(हे०में)

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| आरक्षित वन भूमि        | -0.260 है0 अर्थात् 13 नाली |
| सिविल एवं सोयम वन भूमि | - शून्य                    |
| वन पंचायत भूमि         | - शून्य                    |
| निजी भूमि              | - शून्य                    |
| योग                    | -0.260 है0 अर्थात् 13 नाली |
- 3- प्रस्तावक विभाग का नाम - पुलिस विभाग, रुद्रप्रयाग
  - 4- वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
  - 5- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है -  हाँ /  नहीं
  - 6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -  हाँ /  नहीं
  - 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है -  हाँ /  नहीं
  - 8- क्या प्रारूप में वीक्षित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है -  हाँ /  नहीं
  - 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -  हाँ /  नहीं
  - 10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है -  हाँ /  नहीं
  - 11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है:-  हाँ /  नहीं
  - 12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है- ~~वृक्षों का पालन नहीं किया जाता है।~~
  - 13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:-  हाँ /  नहीं
  - 14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है-  हाँ /  नहीं
  - 15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपर्युक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है:-  हाँ /  नहीं
  - 16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है-  हाँ /  नहीं
  - 17- प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त:-  हाँ /  नहीं  
पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है
  - 18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है:-  हाँ /  नहीं
  - 19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:-  हाँ /  नहीं  
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है
  - 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है  हाँ /  नहीं
  - 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी हो तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।) X

- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को:-
- अलग-अलग रंगों से भरा गया है ✓ हॉ / नहीं
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है:- हॉ x / नहीं x  
ते उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980:- हॉ / नहीं ✓  
का उल्लंघन हुआ है
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी:- हॉ / नहीं ✓  
अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई  
कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक:- हॉ / नहीं ✓  
समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:-
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण(एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है हॉ / नहीं ✓  
( 05 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- 29- मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है ✓ हॉ / नहीं
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है ✓ हॉ / नहीं  
अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है ✓ हॉ / नहीं
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है ✓ हॉ / नहीं
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है,यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं- ✓ हॉ / नहीं
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है हॉ / नहीं ✓
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- ✓ हॉ / नहीं
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण -पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है ✓ हॉ / नहीं
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं- ✓ हॉ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्स शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

प्रशासनिक अधिकारी,  
कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

प्रतिष्ठित  
प्रशासनिक अधिकारी,  
कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।  
प्रतिवेदन।

जनपद रुद्रप्रयाग का सृजन वर्ष 1997 में हुआ है तब से अब तक जनपद स्तरीय बुनियादी आवश्यकताओं/सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो पायी है। वर्तमान में उक्त परियोजना के निर्माण हेतु पुलिस विभाग की अपनी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। उल्लेख करना है कि उक्त परियोजना के कार्यक्षेत्र में वर्तमान में दूर-दूर तक रेगुलर पुलिस की उपस्थिति नहीं है, इसके अतिरिक्त क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल की सीमा से लगा होने के कारण अपराधी अपराध कारित कर इस जनपद से उस जनपद तथा उस जनपद से इस जनपद की सीमा में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं तथा पुलिस की पकड़ से दूर रहने का प्रयास करते हैं जिसके कारण यह सम्पूर्ण क्षेत्र आपराधिक एवं आपदा आदि की दृष्टि से बेहद ही संवेदनशील है जिसके कारण उक्त क्षेत्र में होने वाली कानून एवं शान्ति व्यवस्था आदि इयूटियों हेतु पुलिस का व्यवस्थापन या तो किराये के भवनों में करना पड़ता है अथवा अन्य विभागों के उपलब्ध भवनों पर पुलिस बल के व्यवस्थापन हेतु निर्भर होना पड़ता है। जिस कारण पुलिस विभाग को अत्यन्त कठिनाईयों एवं अनावश्यक धन व्यय वहन करना पड़ रहा है। प्रस्तावित भूमि सम्पूर्ण पुलिस चौकी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र के मध्य क्षेत्र में स्थित है, जिससे वर्तमान में शान्ति व्यवस्था दुष्प्रभावित होने की दशाओं /आपात की स्थिति में पुलिस बल को जनपद मुख्यालय से इयूटी हेतु भेजे जाने में हो रही कठिनाईयों, धनाव्यय, समय का व्यय होने जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान होने के साथ-साथ स्थानीय आम जनमानस की सुरक्षा/शान्ति व्यवस्था सुगमता से सुनिश्चित की जा सके, साथ ही वर्तमान में हो रहे राजकीय धन के अपव्यय की समस्या से भी बचा जा सकेगा।


अतः उपरोक्त परिस्थितियों के सफल समाधान हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि पुलिस चौकी माई की मढी(मयाली) के भवन निर्माण हेतु चयनित की गई है, जिसके मूल्य की देयता पुलिस विभाग द्वारा दिया जाना बाध्य है। प्रस्तावित स्थल भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। एवं कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने की दशा में प्रस्तावित 0.260 है0 भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अर्न्तगत तैयार कर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:-

- 1- प्रस्तावित स्थल को संलग्न इंडैक्स मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है।
- 2- प्रस्तावित स्थल का वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है एवं चयनित भूमि न्यूनतम है तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 3- प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य व अन्य प्रकार के वन्य जीव विहार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तथा भूमि वृक्ष विहीन है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 4- प्रस्तावित होने वाली 0.260 है0 के वन क्षेत्र में क्षतिपूर्क वनीकरण आगणन एवं मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्ताव में संलग्न किया गया है, जिसका व्यय पुलिस विभाग द्वारा वहन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी संलग्न है।
- 5- प्रश्नगत भूमि के प्रस्ताव में वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र दिया गया है कि उपरोक्त भवनों के निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 6- प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य से जो मलबा निकलेगा उसका निस्तारण साईड डेवलेपमेन्ट में गड्डो के भरण में किया जायेगा ताकि भूकटाव की स्थिति उत्पन्न न हो। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

4  
भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अर्न्तगत वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाना है।

इस प्रकार यह प्रस्ताव कुल 0.260 हे० वन भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु तैयार किया गया है। इससे अधिक भूमि जनपद की भौगोलिक परिस्थिति के कारण उपलब्ध होना सम्भव नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित भूमि पुलिस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र हस्तान्तरित करने की कृपा करें ताकि उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारम्भ कर भवनों का निर्माण किया जा सके।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

## प्रपत्र-2 (परिशिष्ट)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

## परियोजना का विवरण :-

1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	- जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत	- रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के भवनों के निर्माण हेतु रुपये 94.45 लाख स्वीकृत हो चुका है।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	- परियोजना का निर्माण क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की संवेदनशीलता, आपदा सम्भावित क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र में पुलिस बल की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु सिविल राज्य भूमि अथवा अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन क्षेत्र में परियोजना का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण(संलग्न किये जाने के लिए)	- संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	- नहीं।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	- उपरोक्तानुसार।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है।	
	क) परिवारों की संख्या	- शून्य
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	- शून्य
	ग) पुर्नवास योजना(संलग्न किये जाने के लिए)	- शून्य
4	क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?	- हाँ
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(बचनबद्धता संलग्न की जाये)	- संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौर।	- संलग्न है।

दिनांक: 09/11/2014

स्थान रुद्रप्रयाग।

पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग।

प्रस्ताव की कम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थान	- जनपद रुद्रप्रयाग की रिफ्लेक्स पुलिस पोलीस लाईन की मही के भवन का निर्माण
I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	- उत्तराखण्ड
II) जिला	- रुद्रप्रयाग
III) वन प्रभाग	- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
IV) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)	0.264 हे०
V) वन की कानूनी स्थिति	- आरक्षित वन
VI) हरियाली का घनत्व	- 30%
VII) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक 0.03 आर 0.04 एल 0-8 मी 0 पर परिगणना भी संलग्न की जाये।	- संलग्न
VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	- भूक्षरण की संभावना नहीं है,
IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।	- 21.50 किमी०
X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जेवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कंरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वाईन की टिप्पणियाँ अयुक्तित की जाये)	- नहीं
XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	- नहीं
XII) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो,	- नहीं

<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जंचि गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संशुद्ध क्षेत्र क्या है।</p>	<p>- अपरिहार्य और न्यूनतम है।</p>
<p>क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है(है/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दीपी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौर दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।</p>	<p>- नहीं</p>
<p>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-</p>	<p>- संलग्न</p>
<p>i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार</p>	<p>संलग्न</p>
<p>ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।</p>	<p>संलग्न</p>
<p>iii) उधत की जानें वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।</p>	<p>संलग्न</p>
<p>iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय</p>	<p></p>
<p>v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र(सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।</p>	<p>संलग्न</p>
<p>vi) जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तिथिगत: उपर्युक्त कॉलम 7(XI.XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये(संलग्न करें)</p>	<p>संलग्न</p>
<p>vii) प्रभाग/जिला प्रोफाइल, जिला का भौगोलिक क्षेत्र।</p>	<p>रुद्रप्रभाग वन प्रभाग / रुद्रप्रभाग 1984 वर्ग. किमी.</p>
<p>viii) जिला का वन क्षेत्र।</p>	<p>1984 वर्ग. किमी. 1790 - 995 वर्ग. किमी.</p>

मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	570.285 hac. 143 Case
1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिफल वनीकरण	719.96 hac. 26.12 R.Km.
क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	X
ख) वनेतर भूमि पर..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
क) वन भूमि पर	
द) वनेतर भूमि पर	719.96 hac. 26.12 R.Km.
प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रकृत जनसुरक्षा से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक: 15-1-2014  
 स्थान: उ.प्र.प्रयाग

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम: (किशन चन्द)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
 सरकारी भोह रुद्रप्रयाग

## प्रपत्र-2.2

## भाग-III

( सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है )

14 स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15 क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उपवन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक:.....  
स्थान .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

सरकारी मोहर.....

## प्रपत्र-2.3

भाग-IV

( नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा  
अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए )

- 17 टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

दिनांक:.....  
स्थान .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

सरकारी मोहर.....

प्रपत्र-2.4

भाग-V

( वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है )

18 राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक:.....  
स्थान .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....


सरकारी मोहर.....

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धित आदेश की प्रतियां संलग्न हैं ।  
संलग्नक: यथोक्त।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

15-5-14

प्रेषक  
विक्रम सिंह यादव,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में  
पुलिस महानिदेशक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुमाय-1 देहरादून दिनांक- 15 मई, 2014

विषय-पुलिस चौकी गौरीकुण्ड के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य स्थल में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-डी.जी.-दो-130-2007(12) दिनांक 03 फरवरी 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत पुलिस चौकी गौरीकुण्ड के आवासीय/अनावासीय भवनों के स्थान पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मड़ी हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 908/XX-1-2013-5(17)2012 दिनांक 28 मार्च 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस चौकी गौरीकुण्ड, जनपद रुद्रप्रयाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के स्थान पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मड़ी हेतु स्थान मयाली तहसील जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश दिनांक 28 मार्च 2013 द्वारा पुलिस चौकी गौरीकुण्ड हेतु स्वीकृति डिजायन/ड्राईंग के अनुसार पूर्व में अवमुक्त धनराशि रुपये 94.45 लाख(रुपये नौसठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) में ही नवीन निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा इसके लिए किसी भी दशा में धनराशि पुनरीक्षित कराये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3- कार्यदायी संस्थान, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि. इकाई श्रीनगर, पौडी गढ़वाल द्वारा विस्तृत आगमन में प्राविधानित धनराशि रुपये 3.14 लाख(रुपये तीन लाख चौदह हजार मात्र) के कार्यों हेतु "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008" के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।


4- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. सम्पादित करते हुये प्रर्याप्त एवं निर्तिवादित व समुचित भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 908/XX-1-2013-5(17)2012 दिनांक 28 मार्च 2013 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगा तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a signature and the date 15/5/14.

6- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या-19/NP/XXVII(S)/2014 दिनांक 15 मई, 2014 के माफ़ उपरोक्त सहकारिता से निर्मित किये जा रहे हैं।

भवदीय

  
(विक्रम सिंह यादव)  
उप सचिव  
e/c

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं तदनुसार अग्रेस्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, आवश्यक मातृसे विहिल्डम माजस, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार 25 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
5. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र(एन आई सी) सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि, इकाई श्रीनगर, पौड़ी मढ़वाल।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

Attested  
  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

आज्ञा से

  
( मुकेश कुमार सिंह )  
अनु सचिव  
e/c  
15/5

जनपद रूद्रप्रयाग के नवसृजन के फलस्वरूप पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०  
 के आदेश सं० डीजी-चार-103/54/97, दि० 10-11-1997 के अनुपालन  
 में जनपद चमोली, पौड़ी, टिहरी एवं रूद्रप्रयाग के मध्य जनशासित,  
 उपकरणों, संसाधनों का विभाजन।

जनपद रूद्रप्रयाग के सृजन से पूर्व जनपद चमोली में 7 तहसीलें  
 थीं जिनमें से दो तहसीलें यथा तहसील उखीमठ व तहसील रूद्रप्रयाग काटकर  
 जनपद रूद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत आ गई हैं। जनपद चमोली के कुल 7 धानों में से  
 दो पुलिस धाना क्षेत्र यथा धाना उखीमठ व धाना रूद्रप्रयाग। नवसृजित जनपद  
 रूद्रप्रयाग के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं। इस अतिरिक्त जनपद  
 टिहरी गढ़वाल की उप-तहसील जखोली (तहसील देवप्रयाग) जो इस समय राजस्थान  
 क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, को भी नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग में सम्मिलित किया  
 गया है। इसी प्रकार जनपद पौड़ी गढ़वाल से भी पट्टी बचनरसूँ धाना श्रीनगर  
 क्षेत्र से काटकर नये जनपद रूद्रप्रयाग में जोड़ी गई है।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेशों के संदर्भ में  
 दि० 14-11-1997 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पुलिस अधीक्षक,  
 चमोली द्वारा मीटिंग कर जनपद चमोली, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी  
 गढ़वाल से आनुपातिक आधार पर जनशासित एवं संसाधनों को नवसृजित जनपद  
 रूद्रप्रयाग को दिये जाने के निमित्त मोहड़ी कर विचार विमर्श किया  
 गया। विचारोपरान्त आनुपातिक आधार पर निम्नोक्त जनशासित/उपकरण/  
 संसाधन नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग के अधिकार क्षेत्र में हस्तान्तरित किये जाने का  
 निर्णय लिया गया :-

1. धाने :

धाना रूद्रप्रयाग एवं धाना उखीमठ जनपद चमोली के अधिकार क्षेत्र  
 से काट कर अब नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग के प्रशासनिक अधिकार में दिये जाते हैं।  
 इसी प्रकार जनपद टिहरी गढ़वाल की पुलिस चौकी भाई की गढ़ी (जखोली क्षेत्र)  
 भी नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग के अधिकार क्षेत्र में दी जा रही है। जनपद पौड़ी  
 गढ़वाल के धाना श्रीनगर क्षेत्र की पट्टी बचनरसूँ का क्षेत्र भी जनपद रूद्रप्रयाग पुलिस के  
 अधिकार क्षेत्र में दिया जाता है।

2. जनशासित :

अ) नागरिक पुलिस : धानाधार स्वीकृत निम्नवत् है :-

धाना	अपनि	हे.का.	व।०	चतुर्थ श्रेणी
1- रूद्रप्रयाग	2	1	1	2
2- उखीमठ	2	1	1	2
रि. चौकी जगहतभुनि	1	1	-	-
रि. चौकी गौरीकुण्ड	1	1	-	-

Attested  
  
 निम्न उपमहानिरीक्षक  
 पुलिस महानिदेशक  
 गढ़वाल

§6§

- §4§ अग्निशामन इकाई : जन्मद स्तूपयाग में अग्निशामन इकाई स्थापित करने की कार्यवाही 3090 अग्निशामन मुख्यालय, लखनऊ से अपेक्षित है ।
- §5§ वर्दी : जब तक पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से जन्मद स्तूपयाग के लिये अतिरिक्त किट स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक जन्मद चमोली से 20 किट {अतिरिक्त किटों में से} अध्याई सम से जन्मद स्तूपयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त जन्मद स्तूपयाग को स्थानान्तरित किये ग पुलिसखल से सम्बन्धित विभिन्न वर्दी की आइलमें सम्बन्धित जन्मदों द्वारा जन्मद स्तूपयाग को स्थानान्तरित की जायेगी ।
- §6§ टैन्टेज : जन्मद चमोली में उपलब्ध 6 डी0एफ0 होलदारी में से 2 डी0एफ0 होलदारी जन्मद स्तूपयाग को स्थानान्तरित की जाती हैं ।
- §7§ लिपिक शाखा :

§अ§ स्टाफ : जन्मद स्तूपयाग के लिये कोई लिपिक पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः जन्मद चमोली से निम्नांकित लिपिक जन्मद स्तूपयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं :-

- 1- ए. एस. आई {एम} सहायक लिपिक - 1 ✓
- 2- कान्स्टेबल {एम} - 2 ✓

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चमोली द्वारा जन्मद स्तूपयाग की आंकिक शाखा के कार्य का निष्पादन जन्मद स्तूपयाग के लिये निर्मित स्टाफ की पृथक नियुक्ति होने तक कराया जायेगा ।

§ब§ स्टेशनरी : पुलिस अधीक्षक, चमोली वांछित मात्रा में स्टेशनरी एवं विभिन्न प्रकार के फार्म आदि जन्मद स्तूपयाग को उपलब्ध करायेगे ।

§स§ टाइपराइटर : दो हिन्दी टाइप राइटर पुलिस मुख्यालय द्वारा जन्मद स्तूपयाग के लिये स्वीकृत किये जा चुके हैं । यह टाइपराइटर पुलिस अधीक्षक, चमोली द्वारा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त कर जन्मद स्तूपयाग को उपलब्ध कराये जायेगे ।

{ज्ञान सिंह}  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षण,  
उत्तर प्रदेश

प्रमाणित

पुलिस अधीक्षक,  
स्तूपयाग

प्रमाणित

80 सीजी/सीए-118/97

रि० 15-

{ज्ञान सिंह}  
पुलिस अधीक्षक,  
स्तूपयाग

उत्तर प्रदेश सरकार  
राजस्व अनुभाग-5

संख्या:- 2867/1-323/97-RTD-5

दिनांक: 18 सितम्बर, 1997

अभिसूचना

34-98  
1997-5/1-323-611  
324  
20-10-97

उत्तर प्रदेश साधारण षण्ड अभिनियम, 1904 §उत्तर प्रदेश अभिनियम संख्या-1 सन 1904§ की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लेण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 §यू0पी0 ऐक्ट संख्या-3 सन 1901§ की धारा 11 के अधीन शर्त का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्व अभिसूचनाओं का आंशिक पान्तर करके राज्यपाल इस अभिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से रूद्रप्रयाग, रामगंगा जिला सृजित करते है जिसमें जिला चमोली की वर्तमान तहसील रूद्रप्रयाग और जमीठ और जिला टिहरी गढ़वाल की उभ तहसील जसोली और जिला पौड़ी में जिला की तहसील श्रीनगर की संप्रत्युपहरी के क्षेत्र समाविष्ट होगे, जिसका मुख्यालय रूद्रप्रयाग में होगा और उक्त दिनांक से वर्तमान जिला चमोली, तहसील गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल का सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन करते है कि नवसृजित जिला रूद्रप्रयाग में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर वर्तमान क्षेत्र उसमें समाविष्ट होंगे।

राज्यपाल अगुतर निदेशित है कि इस अभिसूचना की प्रती को प्रभाषण तक की विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ को नहीं मा विचारणीय किन विधिक कार्यवाही में नहीं पड़ेगा।

प्रमाणित  
[Signature]  
पुबिन शर्मा  
सहायक

आज्ञा में,  
[Signature]  
§सेल पार आयुक्त  
मुख्य सचिव।।

2867/98  
18/9/97

2867/1-323/97-RTD-5

प्रमाणित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-  
जिलाधिकारी, चमोली/पौड़ी गढ़वाल/टिहरी गढ़वाल।  
प्रतिलिपि अभिसूचना की §अंग्रेजी अनुवाद सहित§ संवत् 3 अधीशक नवीन राजकीय पुस्त शाला रेश्मबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अभिसूचना को तत्काल सितम्बर, 1997 के असाधारण गजट, भाग-4§38 परि निर्यम आदेश में प्रकाशित करने और 500 मुद्रित प्रतियाँ शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 प्रतियाँ जिलाधिकारी, चमोली/पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल तथा 50 प्रतियाँ आयुक्त एवं नयि

प्रमाणित

उपस्थित

उत्तर प्रदेश पुलिस दिनांक: 23/11/97

क्रमांक: 100/B

- 1- पुलिस मंडल, प्रयोक्षक, कारागार, मुद्रागार/अरिमा/संतकचौर, बगैर/उम्मावत।
- 2- पुलिस प्रयोक्षक, बगैर/उम्मावत/रुद्र मुद्रागार/अरिमा/संतकचौर नगर/बगैर/उम्मावत।

उक्त के अन्तर्गत न्यूनतम न्यूनतम कक्षा: 100/B/रुद्र मुद्रागार/अरिमा/संतकचौर नगर/बगैर/उम्मावत के पुलिस अधीक्षकों को आदेश एवं वितरण अधिकारी नियुक्त किया जाये।

सूचना प्रकरण में प्राप्त नै कार्यविधि द्वारा दिनांक: 8932/उ: - पु-1-97-150/9/97, दिनांक 24-11-97 द्वारा उक्त अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कार्यविधियों के लिए आदेश एवं वितरण अधिकारियों को नियुक्त किया है। उक्त कार्यविधि द्वारा को एक-एक प्रतिनिधि आसफक कार्यवाही हेतु नियुक्त को जा रही है।

*Amol*  
 ए०२३० फातमी  
 वित्त निम्नक,  
 उत्तर प्रदेश।  
 15/11/97

दिनांक: 23/11/97

प्रतिनिधि नियुक्ति को भी उक्त कार्यविधि द्वारा को एक-एक प्रतिनिधि नियुक्ति एवं आसफक कार्यवाही हेतु नियुक्त को जा रही है :-

- 1- रिजर्व को अधिकारी, बगैर/उम्मावत/रुद्र मुद्रागार/अरिमा/संतकचौर नगर/बगैर/उम्मावत।
- 2- रिजर्व को अधिकारी, मरठ/कोशी/इटावा/मथ: मंड/बस्ती/अल्मोड़ा/विहीरगढ़।
- 3- रिजर्व/पुलिस अधीक्षक, मरठ/कोशी/इटावा/मथ: मंड/बस्ती/अल्मोड़ा/विहीरगढ़।
- 4- विभाग-3/क, 3/उ एवं 21, पुलिस मुख्यालय, उम्मावत।

निम्नक: बगैर।

11/11/97  
 11/11/97

*Amol*  
 ए०२३० फातमी  
 वित्त निम्नक,  
 उत्तर प्रदेश।  
 15/11/97

प्रमाणित  
 [Signature]

उत्तर प्रदेश गणतन्त्र  
गृह विभाग अनुभाग-1  
दस्तावेज संख्या: पु-1-97-150/28/97  
तारीख: दिनांक 24 नवंबर, 1997

Handwritten stamp: 150/28/97, 24/11/97, 28

कार्यालय-ज्ञान

अधीक्षकताओं को यह कठिन का निर्देश हुआ है कि वे पुलिस  
वात जनपदों बागपत, रुद्रप्रयाग, औरिया, कन्नौज, जौनपुर, अर, बागपत एवं सम्भल  
के पुलिस पुलिस अधीक्षकों को जो राज्यपाल उनके अधी- य कार्यालयों के लिए  
"आहरण एवं विहरण अधिकारी" नियुक्त करते हैं।

ये अधिकार विस्तार विभाग के कार्यालय पु-1-ए-2-1701/  
दस्तावेज संख्या: 1973 दिनांक 20-7-73 में प्रतिबद्धित अधी- यों के अन्तर्गत जारी किए  
जा रहे हैं।

राजीव रत्न शाह  
मुख्य सचिव, गृह

तारीख: 2, 13/8:-पु-1-तारीख

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाओं के आकांक कार्यवाही हेतु

नियुक्त :-

- 1- महासंचालक, सेवा प्रथम/आडिटर प्रथम, 309, लखनऊ।
- 2- पुलिस महा निदेशक, 3090, लखनऊ।
- 3- उपर पुलिस महा निदेशक, 3090 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, बागपत/रुद्रप्रयाग/औरिया/कन्नौज/जौनपुर/अर/बागपत/  
सम्भल।
- 5- को अधिकारी, संबंधित वात जनपदों को।
- 6- सचिव को कार्यालय, बागपत/रुद्र प्रयाग/औरिया/कन्नौज/लखनऊ/बागपत/सम्भल।
- 7- गृह विभाग अनुभाग-13
- 8- गृह विभाग अनुभाग-1
- 9- गार्ड फाइल।

प्रमाणित  
  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

आज्ञा सं.  
30/-  
आरोपित पुलिस अधीक्षक  
अनु सचिव।


Handwritten: 10/12

## प्रपत्र-4

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकबा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट(प्रमाण पत्र)

संलग्न है।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम:-

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 01-09-014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बलवंत सिंह रावत राजस्व विभाग की ओर से श्री आनंद कुमार गुहाई, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री अनम कुमा एवं श्री दानेश्वर सिंह रावत द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय हाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.26 हे०, सिविल एवं सोयन वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नाप भूमि 0.00 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है। 1 से 2 पेज (अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

~~प्रस्तावित वन भूमि (जंगल) क्र. 63 का निरीक्षण वन क्षेत्राधिकारी से अनिवार्य अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।~~

ह०/-  
(प्रयोक्ता एजेन्सी)  
अनम कुमा  
वा.प. दु.चा.ज  
मायको म.डी.मयली

ह०/-  
राजस्व विभाग प्रतिनिधि  
दानेश्वर सिंह रावत  
राजस्व निरीक्षण  
अ.द.वा.  
राष्ट्रिय जंगली

ह०/-  
वन विभाग प्रतिनिधि  
बलवंत सिंह रावत  
वन पंचायत  
दक्षिण अनुभाग  
गोविन्द सिंह (जंगल)  
वन उपाधी  
दक्षिण जंगली

प्रति हस्ताक्षरित  
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित  
प्रमाणीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी  
दक्षिण जंगली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी  
जंगली

प्रमाणित  
प्रमाणित वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghu  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF**  
**(for the forest land to be diverted under FCA)**

5.1 A proposal has been received by this office from Police department Rudraprayag for diversion under FCA-1980 of **0.260** hectare reserve forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for **construction of x Reporting Out post Mai ki Madhi and proposed Fire station Jakholi**. The Site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **11.09.2014**.....

5.2 On Inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a reserve forest/PF/Un-classed/Other forest measuring **0.260** hectare.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in col- 2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **No**

5.4 Whether any rare/indangered/Unique Species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: **No**

5.5 xx whether any protected archeological/Heritage site/Difence establishment or any other important monument is located in the area if, so the details thereof with N.O.C. from, competent authority, if required:

a)  The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), act-1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, para c of hadbook of forest(Conservation), act-1980 attached. **No**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: **Rudraprayag**  
Date: **15.10.2014**

Sign. (**Kishan Chand**)  
Name: **Kishan Chand**  
Designation: **D.F.O**  
Office Seal: **प्रमाणिक वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग**

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.  
xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not is not applicable.

As per letter number 2-2/2000/FC, dated: 16-10-2000 from Minstry of Enviornment and Forest, Government of India for proposal involving less then 40 Hectares for forest land. the site inspection report from D.C.F. is required and for proposal involving more then 40 hectares of forest land site inspecton report from the conservation of forest is required.


## प्रपत्र-6

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्ताव के साथ 1:50000 के पैमाने पर टोपोसीट मानचित्र संलग्न

है।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।



# SOUTH JAKHOLI RANGE RUDRAPRAYAG FOREST DIVISION GARHWAL CIRCLE UTTARAKHAND

0 2 4 6 KM



TEHRI FOREST DIVISION  
TEHRI GARHWAL DISTRICT

NORTH JAKHOLI RANGE



**Legend**

□ Division Headquarter	--- Division Boundary
□ Water Control Room	--- Range Boundary
□ State Headquarter Fire Control	--- Beat Boundary
□ Range Headquarter	--- Block Boundary
□ Forest Rest House	--- Contour Boundary
□ Forest Guard Check	--- Check Boundary
□ State Station Fire Control	--- Major Road (Metalled)
□ Bazaar	--- Minor Road (Metalled)
□ Cow Station	--- Unmetalled Road
□ Nursery	--- Others Road
□ Settlement	--- Drainage
□ Spot Height	

KHANKRA RANGE

RUDRAPRAYAG RANGE

संकेत

प्रस्तावित स्थल



0.264 हे० आरक्षित वन भूमि


वन पंचायत भूमि



*[Handwritten signature]*  
Superd of Police  
Rudraprayag

*[Handwritten signature]*  
प्रतिनिधि  
प्रादेशिक वन अधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

# RUDRAPRAYAG FORE GARHWAL CII UTTARAKHA



HRI FOREST  
DIVISION

RI GARHWAL  
DISTRICT

वैकल्पिक समरेखण - प्रथम (01)

वैकल्पिक समरेखण - तृतीय (03)  
(प्रस्तावित स्थल)

NORTH JAKHOLI  
RANGE

वैकल्पिक समरेखण - द्वितीय (02)

प्रस्तावित  
प्रदेशीय वन्यजीविकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

सीई


पुनरावधारित  
रुद्रप्रयाग

संकेत  
वैकल्पिक समरेखण-03  
प्रस्तावित स्थल - 6A

प्रस्तावित रकत - 0.260  
- (0.264) 870

वैकल्पिक समरेखण प्रथम - 0.650  
वैकल्पिक समरेखण द्वितीय - 0.600

वन क्षेत्राधिकारी  
दक्षिण जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग



डिजिटल मैप - जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी के निर्माण हेतु स्थान जखोली, तहसील जखोली, के जाखणी में रकवा 0.260 है० अर्थात 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण हेतु

0 0.5 1Km



78°52'30"E

78°55'0"E



- Legend**
- Proposed Land
  - Reserve Forest Area
  - Reserve Forest Boundary
  - Forest Range Boundary

पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग

प्रभोगी वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

डिजिटल मैप - जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रिपोटिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी के निर्माण हेतु स्थान जखोली, तहसील जखोली, के जाखणी में रकवा 0.260 है0 अर्थात 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण हेतु



Legend

● Proposed Land

प्रमाणित  
प्रोग्रामिय वनाधिकारी  
रूद्रप्रयाग  
रूद्रप्रयाग

## प्रपत्र-08

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग का रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### वैकल्पिक समरेखणो को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व प्रपत्र संख्या 09 में उल्लिखित कारणों से उपलब्ध अन्य विकल्पों को निरस्त करते हुये वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया है।

ह0  
 प्रशासक  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
 रुद्रप्रयाग प्रभाग,  
 रुद्रप्रयाग।

ह0  
 पुलिस अधीक्षक  
 रुद्रप्रयाग।

## प्रपत्र-09

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र।

संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि(हि० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण(एच.पी.बैंड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण संख्या: 01 - ग्राम मयाली में ख.खा.सं. 35 के खसरा नम्बर 447, रकवा 0.627 हे० मध्ये	0.600			यह भूमि स्थानीय कास्तकारों एवं स्थानीय नागरिकों के पालतू पशुओं का चारागाह स्थल होने तथा स्थानीय लोगों के पशुओं को लाने ले जाने में मार्ग अवरुद्ध होने एवं अन्य हित प्रभावित होने आदि को देखते हुये प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु उपयुक्त न पाते हुये निरस्त की गयी है। भूमि को प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या: 25 के अनुसार संलग्न मानचित्र दर्शाया गया है।
संरेखण संख्या: 02 - ग्राम मयाली में जाखणी कक्ष संख्या: क.सं. 6(ब)(नागराजासौंड)	0.600			उपर्युक्त कारणों से ही विकल्प को निरस्त किया गया है। प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या: 25 के अनुसार संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है।
संरेखण संख्या: 03 - जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ	0.260			भूमि पर्याप्त एवं निर्विवाद तथा उपयुक्त होने के कारण वैकल्पिक रूप/भूगर्भीय परिस्थितियों से आदि से भी सर्वदा उपयुक्त है। भूमि को प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या: 25 के अनुसार संलग्न मानचित्र दर्शाया गया है।

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण संख्या: 03 उपयुक्त है।

ह०  
प्रतिहरताशरिन  
प्रभागीय प्रशासिका  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
रुद्रप्रयाग।


ह०  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।


प्रपत्र-10

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसाल-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.260 हेक्टेयर वन भूमि की माँग न्यूनतम है व इससे कम वनभूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।


  
रा. उ. नि. 0 (जखोली)

  
जिलाधिकारी  
वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

  
वन अधीक्षक  
संक्षेप जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

  
सुप जिलाधिकारी  
जखोली  
जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

## प्रपत्र-11

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 हे0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

**लैन्ड शेड्यूल**  
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि0 का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	दक्षिणी जखोली रेंज	जाखणी	80	33	0.260 हे0 अर्थात् 13 नाली/2640M <sup>2</sup>

पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

वन निरीक्षक,  
दक्षिण जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- यह सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रपत्र-11.1

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

लैण्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैण्ड शेड्यूल के लिए राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी:- सिविल एवं सोयम भूमि।

जिला	तहसील	ब्लॉक	खसरा संख्या	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई	परियोजना की चौड़ाई	आवेदित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
रुद्रप्रयाग	जखोली	जखोली			---शून्य---		प्रति हस्ताक्षरित

तहसीलदार  
जखोली  
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी  
जखोली।  
उप जिलाधिकारी  
जखोली

पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- यह सूचना सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

## प्रपत्र-11.1

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### लैण्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैण्ड शेड्यूल के लिए राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी:- वन पंचायत भूमि।

जिला	तहसील	ब्लॉक	खसरा संख्या	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई	परियोजना की चौड़ाई	आवेदित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
रुद्रप्रयाग	जखोली	जखोली			---	---	

---शून्य---

प्रति हस्ताक्षरित

संवेदनिक  
कॉलेज

जखोली  
जखोली

उपजिलाधिकारी  
जखोली

पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग

नोट:- यह सूचना सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जाना है, जिसे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

## प्रपत्र-11.1

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.26 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

## लैण्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैण्ड शेड्यूल के लिए राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी:- नाप भूमि।

जिला	तहसील	ब्लॉक	खसरा संख्या	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई	परियोजना की चौड़ाई	आवेदित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
रुद्रप्रयाग	जखोली	जखोली			---	---	---

---शून्य---

प्रति हस्ताक्षरित

रा. 381/प. 0  
जखोली

तहसीलदार  
जखोली

उपजिलाधिकारी  
जखोली

पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- यह सूचना सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

## प्रपत्र-12

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
1	आरक्षित वन भूमि	80	33	0.260 (2640M <sup>2</sup> )
2	सिविल सोयम भूमि	-	-	-
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
	अन्य श्रेणी की वन भूमि(यदि लागू हो)	-	-	-
	वन भूमि का योग	80	33	0.260 (2640M <sup>2</sup> )
4	नाप भूमि	-	-	-
	कुल योग	80	33	0.260

पुलिस उपाधीक्षक  
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिहरताक्षरित  
प्रभाषीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

### प्रपत्र-14

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

#### कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

<p>ह0</p> <p></p> <p>पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग।</p>			<p>ह0</p> <p></p> <p>प्रतिहरताशरित प्रभागीय वन प्रभारी, रुद्रप्रयाग गचन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।</p>
---	--	--	--

## प्रपत्र-15

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

## प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक: 01.09.2014 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी:-

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़।

क्र० सं०	वन ब्लॉक /कम्पार्टमेंट	प्रजाति (SCIENTIFIC NAME)	व्यास वर्ग									यो
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	90 से अधिक	
1	लस्या अनुभाग,	चीड़ हर खड़ा (Pinus Roxburghi)	01	01	03	06	06	10	05	01	-	33
2	दक्षिणी	मेहल हर खड़ा (ANDRONEIDA)	-	01	02	-	01	-	-	-	-	04
3	जखोली रेंज	काफल हर खड़ा (ANDRONEIDA)	01	04	-	-	-	-	-	-	-	05
4		बौज हर खड़ा (PERCUES LEUCOGLE) (ANDRONEIDA)	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
5		लोद हर खड़ा (ANDRONEIDA)	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
कुल योग											44	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-  
वसुदेव

वन दरोगा,  
लस्या अनुभाग, दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग।

ह०/-

वन क्षेत्राधिकारी,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह०/-

उपप्रभागीय  
वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह०/-

प्रभारिताशरित  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग  
रुद्रप्रयाग वनप्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज दिनांक 01-09-2014 को प्रधान वन सहायिका महेन्द्रा देवी जी जलोढी रेंज ने उगड़ेखानुसा, पुलिस चौकी, अग्निशमन केंद्र हेतु राजस्व विभाग/पुलिस विभाग/वन विभाग के द्वारा जालणी कंस-6 (सा) में एकवा 0.260 हे० अर्थात् 2640 क्वा मीटर भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर चयनित की गयी जिसमें चयनित भूमि में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की गणना करने के उपरान्त व्यास श्रेणी निम्न प्रकार पायी गयी है।

क्र.सं०	प्रजाति	व्यास श्रेणी
1	मैड डरा लडा	30-40
2	— " —	20-30
3	— " —	30-40
4	— " —	40-50
5	— " —	0-10
6	— " —	20-30
7	— " —	30-40
8	— " —	40-50
9	— " —	50-60
10	— " —	60-70
11	— " —	50-60
12	— " —	30-40
13	— " —	50-60
14	— " —	60-70
15	— " —	40-50
16	— " —	50-60
17	भेदल डरा लडा	20-30
18	काफल डरा लडा	10-20
19	— " —	10-20
20	— " —	0-10
21	भेदल डरा लडा	40-50
22	काफल डरा लडा	10-20
23	बंजा डरा लडा	30-40
24	काफल डरा लडा	10-20
25	मैड डरा लडा	40-50
26	— " —	60-70
27	— " —	60-70
28	— " —	30-40
29	— " —	20-30
30	— " —	10-20
31	भेदल डरा लडा	10-20
32	लोद डरा लडा	10-20
33	मैड डरा लडा	40-50
34	— " —	50-60

कोट - 2

कोट	प्रजाति	व्यास श्रेणी
35	चौड़ झा लकड़ा	50-60
36	— 11 —	30-40
37	— 11 —	40-50
38	— 11 —	50-60
39	— 11 —	60-70
40	— 11 —	50-60
41	— 11 —	50-60
42	— 11 —	70-80
43	— 11 —	50-60
44	मेछला झा लकड़ा	20-30
<u>सारांश</u>		
1	चौड़ — 33	
2	कापला — 05	
3	मेछला — 04	
4	लोद — 01	
5	बैजा — 01	
कुल योग = 44 वृक्ष		

(1) रानसव विभाग  
 फलिसिद्धि  
 अमरा  
 राउत कि  
 जमाना

(2) फलिसिद्धि विभाग

(3) वन विभाग

अमरा  
 धनशंकर सिंह (वत)  
 रानसव निरासक  
 अरदा  
 लहलहा जलिली

अमरा  
 (अमरा कुमा, जा 2 व)  
 मोक्ष प्रभात  
 भायला भनी भयाली  
 जनपद - 65 प्रयाग

वज्र 1 वत  
 (1) बलबन्दा सिंह रावत  
 वन दलगा  
 लहलहा अमरा  
 दक्षिणी जलिली रेंज

अमरा  
 (2) जोरिल्ल सिंह (जगका)  
 वन अमरा  
 लहलहा अमरा  
 दक्षिणी जलिली

Attested  
  
 पुलिस उपवीरक  
 जनपद रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी  
 दक्षिण जलिली रेंज  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

## प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

## सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग								यो.
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	
1	जखोली	शून्य	---शून्य---								

ह0/-  
वन क्षेत्राधिकारी  
दक्षिण जखानी रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

ह0/-  
तहसीलदार,  
जखोली  
जखोली

ह0/-  
उपजिलाधिकारी,  
जखोली  
उप जिलाधिकारी  
जखोली

ह0/-  
उपप्रभागीय  
वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रति हस्ताक्षरित

Raghu  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

## प्रपत्र-15.2

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग							90 से अधिक
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	
1	जखोली	शून्य	—शून्य—							

ह0/-

तहसीलदार,  
जखोली।  
**सातसोम्बार**  
जखोली

ह0/-

वन अधिकारी  
दक्षिण जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
उपजिलाधिकारी,  
जखोली  
जिलाधिकारी  
जखोली

ह0/-

उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-

प्रति हस्ताक्षरित  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रति हस्ताक्षरित


**Raghu**  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

### प्रपत्र-15.3

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षो का विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग							योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	
1	जखोली	शून्य	—शून्य—							

ह0/-  तहसीलदार, जखोली रुद्रप्रयाग	ह0/-  उपजिलाधिकारी, जखोली रुद्रप्रयाग	ह0/- उपप्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।	ह0/-  उपप्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
--	--	--	--

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रति हस्ताक्षरित

  
धिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग


  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

### प्रपत्र-15.4

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।


### परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश


क्र0 सं0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	02	07	05	07	07	10	05	01	-	44
2	सिविल सोयम भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	02	07	05	07	07	10	05	01	-	44
4	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	02	07	05	07	07	10	05	01	-	44

<p>ह0/-</p> <p></p> <p>तहसीलदार, जखोली <b>जखोली</b> वखोली</p>	<p>ह0/-</p> <p></p> <p>उपजिलाधिकारी, जखोली उप जिला जखोली</p>	<p>ह0/-</p> <p>उपप्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।</p>	<p>ह0/-</p> <p></p> <p>प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग</p>
--	---	--	--

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रति हस्ताक्षरित

  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

## प्रपत्र-15.5

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जा रहे वाले वृक्षों का विवरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 44 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल... प्रजाति के... वृक्षों का ही पातन किया जाना है।

ह0/-  
[Signature]

वन दरोगा,  
लस्या अनुभाग,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग।

ह0/-

[Signature]  
वन क्षेत्राधिकारी,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

दक्षिणी जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

ह0/-

उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-

[Signature]  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

ह0/-


[Signature]  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-15.6

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची ।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जायें वाले पेड़ों का कुल मूल्य रुपये.....शून्य.....आंकलित किया जाता है।

ह0/-  
  
वन दरोगा,  
लस्या अनुभाग,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग।

ह0/-  
  
वन क्षेत्राधिकारी,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।  
जनपद रुद्रप्रयाग  
दक्षिणी जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

ह0/-  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-  
  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

## प्रपत्र-18

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जासणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

ह0/-



वन दरोगा,  
लस्या अनुभाग,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग।

ह0/-



वन क्षेत्राधिकारी,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।  
वन क्षेत्राधिकारी  
दक्षिण जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

ह0/-

उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## प्रपत्र-19

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

## राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र ।


प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी 2.1.50 कि०मी० है। ~~अंकित दूरी है~~ दूरी है।

ह0/-



वन दरोगा,  
लस्या अनुभाग,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग।

ह0/-




वन क्षेत्राधिकारी,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।  
वन क्षेत्राधिकारी,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-

उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-



प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## प्रपत्र-20

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं प्रस्तावित क्षेत्र वन्य जीव क्षेत्र की परिधि के 10 कि0मी0 के अन्तर्गत भी नहीं आता है, (इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है) जिसके कारण उक्त प्रमाण पत्र प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण में लागू नहीं है।

प्रतिदत्ताशरित  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
 रुद्रप्रयाग

ह0  
 पुलिस अधीक्षक  
 रुद्रप्रयाग  
 रुद्रप्रयाग।

## प्रपत्र-201

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि सेंचुयेरी क्षेत्रान्तर्गत होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की संस्तुति के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत अनुमति विषयक प्रमाण पत्र।

प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान/पार्क अथवा सेंचयुरी क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है जिसके कारण उक्त प्रमाण पत्र लागू नहीं है।

प्रमाणित  
प्रशासकीय सहायक  
वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

ह0  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग


प्रपत्र-21

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ललूडी के प्रधान एवं अन्य ग्रामीण सदस्यों द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या: 23 से 23.2 तक पर संलग्न है।

ह0

  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

**Form -II****( for projects other than linear projects )****Office of the District Collector Rudraprayag.**

NO.....

Dated.....

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) Dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006(FRA for short) on the forest and proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that 0.260 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of police department rudraprayag for construction of REPORTING POLICE OUT POST MAI KI MADHI (Rudraprayag) in district Rudraprayag falls within jurisdiction of Village Jakholi, 6(A) in tehsil Jakholi.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.260 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee, Gram Sabha, Subdivision level committee the district level committee are enclosed as annexure ~~51~~ to ~~57~~...
- (b) The proposal for such diversion (With full details of the project and its implications, in vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers who are eligible under the FRA .
- (c) The each of concerned Gram Sabhas has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of the purposed diversion a copy of certificate issued by the Gram Sabha of.....villages is enclosed as annexure ~~51~~....to annexure ~~57~~....
- (d) The diversion and decision on such proposals had taken pace only when their was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights primitive tribular groups and pre-agricultural, communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.  
enclosed: as above

Signature

*Raghu*  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

(full name and official seal of the  
distric collector)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- रिपोर्टिंग पुलिस चौकी गार्ड की गद्दी के निर्माण हेतु खान  
जखेली के क० सं० 6(अ) मध्ये 0.260 हे० वन भूमि स्थानांतरण  
विषयक।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लालडी  
तहसील जखेली, जिला रुद्रपुर


अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रपुर के अन्तर्गत पुलिस चौकी विषयक परियोजना  
के निर्माण हेतु (~~0.260~~ हे० आरक्षित वन भूमि, ~~0.260~~ हे० सिविल सोयम भूमि... हे०,  
वन पंचायत भूमि ~~—~~ हे०) अर्थात् कुल ~~...~~ हे० वन भूमि का  
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लालडी द्वारा दिनांक 15/11/2014 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित  
किया गया कि ग्राम लालडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
पुलिस विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर  
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / [Signature]  
ग्राम सचिव  
तहसील जखेली



नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता  
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



परियोजना का नाम :- रिफोर्टिंग पुलिस चौकी आई की मही के निर्माण हेतु स्थान जखोली के कंसो 6(क) मध्ये 0.260 हे० वन भूमि हस्तान्तरण विषयक

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जखोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली

उपखण्ड रुड प्रभाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस चौकी निर्माण हेतु (0.260 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.260 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.260 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 17/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री \_\_\_\_\_, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी जखोली अध्यक्ष
- 2- श्री \_\_\_\_\_ उप प्रभागीय वनाधिकारी रुड प्रभाग सदस्य
- 3- श्री हरिद्वार जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी जखोली सदस्य/सचिव
- 4- श्री मती सक्ति देवी बी०डी०सी० क्षेत्र जखोली सदस्य शक्ति देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रिफोर्टिंग पुलिस चौकी आई की मही के निर्माण हेतु

परियोजना हेतु 0.260 हे० वन भूमि पुलिस विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुड प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैतुक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत  
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मदी परियोजना के निर्माण हेतु 0.260  
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर  
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

श्रीमती देवी (1/2 R/S)  
मपानी  
माई की मदी

श.म.स.  
रुद्रप्रयाग  
जखोली

उपखण्ड  
जखोली

उप जिलाधिकारी / अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-  
जनपद-

११-११-११ तिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
(श्रीमती सखिता देवी)  
अ.प.प्र.स. सदस्य ललूडी  
ख० जखोली (रुद्रप्रयाग)

प्रमाणित

श.म.स.  
रुद्रप्रयाग  
जखोली

तहसीलदार  
जखोली  
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी / अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-  
जनपद-

पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी  
जखोली

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- रिजोर्व पुलिस-वीकी गई की गरी के निर्माण हेतु खानखेली के 0.260 हे० वन भूमि हस्तान्तरण विधायक

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-...2043...के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित.....परियोजना के निर्माण हेतु 0.260 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति (अ.प्र.ख.) तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

प्रमाणित  
शुभलक्ष्मी  
हस्तप्रमाण

20/05/2025  
जिलाधिकारी

तहसीलदार  
जखोली

जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी  
जखोली

ह०/-  
जिलाधिकारी

नोट :- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०ए०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण-पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- रीप्लैन्टिंग पुलिस बौली आर की मढ़ी के निर्माण हेतु स्थान जखोली के क्र० सं० 6 (अ) अर्थात् 0.260 हे० वन भूमि हस्तांतरण सिप

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद ~~...~~ के अन्तर्गत प्रस्तावित पुलिस चौकी ~~...~~ परियोजना के निर्माण हेतु 0.260 हे० वन भूमि ..... (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रमाणित  
पुलिस अधीक्षक  
जखोली

हम  
जखोली

जखोली  
जनपद

हो/-  
जिलाधिकारी


हो/-  
जिलाधिकारी

## प्रपत्र-25

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

भवन निर्माण हेतु ले-आउट प्लान/मदवार विवरण ।

संलग्न है।

ह0  
  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

## प्रपत्र-25.1

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोजी तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण।

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत निम्नानुसार अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाना है :-

1. चौकी कार्यालय भवन
2. चौकी प्रभारी का कार्यालय
3. हैड मोहररिंर का कार्यालय भवन
4. मालगृह
5. बैरक हॉल
6. किचन/स्टोर/टॉयलेट/बाथरूम

ह0

  
 पुलिस अधीक्षक  
 रुद्रप्रयाग

**DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF POLICE CHAUKI AT GORIKUND,  
BLOCK- UKHIMATH DISTT- RUDRAPRAYAG**

**PROJECT REPORT**

**1. AUTHORITY**

The DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF POLICE CHAUKI AT GORIKUND, BLOCK- UKHIMATH DISTT- RUDRAPRAYAG has been prepared as per Uttarakhand Govt Order No. 4105/XX(1) 2012-5(15)2010 (Anx-I)

This nigan has been identified as main construction agency of Govt. of Uttarakhand for civil construction works of other departments vide Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand order no. 504/III (1) / 09- (1) (new) / 2008 dated 13.03.2009 & Chief Secretary, Govt of Uttarakhand order no. 08/XXVI/ 3 (2) /2009 dated 11.02.2010.

**2. PROPOSAL**

It is proposed to construct the following residential and non residential building with other appurtenant works at Police Chauki Gorikund Rudraprayag.

(i)	Police Chauki (Main Building)	1No	Area = 119.35 Sqm.
(ii)	Type II (57.68 x 2)	2No	Area = 115.36 Sqm.
(iii)	Boundary wall		Length = 100.00 mtr

It is also proposed to dismantle the existing police chauki to clear the site for new above construction.

**3. RATES & SPECIFICATION**

P.W.D. building rates for Block- Ukhimath 16, Rudraprayag effective from 01-05-2012 has been adopted as circulated by chief engineer level-1 public works department Dehradun. Departmental centage adopted as per order of principal secretary (fin) no 163/XXVII(7)/2007 dated 22.02.2008 (Anx.II).

Uttarakhand public works department specification for different categories of buildings will be followed.

**4. CONCLUSION**

DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF POLICE CHAUKI AT GORIKUND, BLOCK- UKHIMATH DISTT- RUDRAPRAYAG amounting Rs. 99.98 Laacs is being submitted for administrative approval, financial approval and allotment of funds.

*Attested*

*[Signature]*  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

*[Signature]*  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

*[Signature]*  
(Bharat Bhushan Garg)


Project Manager  
Construction Unit  
Uttarakhand Peyjal Nigam  
Srinagar Garhwal  
Project Manager  
Construction Unit  
Uttarakhand Peyjal Nigam  
Srinagar (Garhwal)


**DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF POLICE CHAUKI AT GORIKUND,  
RUDRAPRAYAG**

**Form - 'J'**


S.No.	Description	Cost (Rs.in Lacs)
1	2	3
1	Cost of works	90.89 Lacs
2	Add centage @ 10% as per latest govt. norms.	9.09 Lacs
	<b>Total</b>	<b>99.98 Lacs</b>
	<b>Say</b>	<b>99.98 Lacs</b>

Prepared By


  
(H.S. BUTOLA)  
A.R.E.

  
(M.L. KUSHWAHA)  
Resident Engineer

Checked By


  
(R.S. RAWAT)  
Computer

Recommended By

  
(B.B. GARG) 12/1/19  
Project Manager  
Project Manager  
Construction Unit  
Uttarakhand Pwaj Nigam  
Srinagar Garhwal

Construction Unit, Uttarakhand Pwaj Nigam, Srinagar Garhwal


प्रति हस्ताक्षरित

  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

Attested

  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

... SITE PLAN FOR CONSTRUCTION OF RESIDING POLICE HUKI - RESIDENTIAL LANE ...  
 AT GURUKUND DISTT RUDRAPURAYAL



EXISTING BUILDINGS IS TO BE DISMANTLED

PROPOSED AREA FOR ADMISTRATIVE BLOCK

PROPOSED AREA FOR TYPE 2 BUILDING

Resident Engineer  
 Construction Unit  
 Unnikrishnan Beryal Nagar  
 Simagar (Garhwal)

A.K.G.  
 Construction Unit  
 Unnikrishnan Beryal Nagar  
 Simagar (Garhwal)

H.S. Sarda  
 A.K.G.  
 Construction Unit  
 Unnikrishnan Beryal Nagar  
 Simagar (Garhwal)

139

OFFICE OF THE CHIEF GENERAL MANAGER CONSTRUCTION WING

OFFICE OF THE CHIEF GENERAL MANAGER CONSTRUCTION WING  
UTARAKHAND  
PIT JAL NUGAM  
DEHRADUN

CONSTRUCTION SET TITLE


STREET NO. 3A

DATE: 10/11/2011  
CHECKED BY: [Signature]  
APPROVED BY: [Signature]

DRAWING TITLE:  
GROUND FLOOR  
OF COVD AREA-112M  
SCHEM

ARCHITECTS:  
ARCHITECTURE DESIGNERS  
11, RAJ KUMAR BASTI, DEHRADUN  
UTARAKHAND INDIA

FOR THE ARCHITECTURE DESIGNERS  
11, RAJ KUMAR BASTI, DEHRADUN  
UTARAKHAND INDIA  
FOR THE ARCHITECTURE DESIGNERS  
11, RAJ KUMAR BASTI, DEHRADUN  
UTARAKHAND INDIA



HOLD AREA

ARCHITECTURE DESIGNERS  
 11, RAJ KUMAR BASTI, DEHRADUN  
 UTARAKHAND INDIA

PROPOSED POLICE CHAUKI AT GORIKUND DISTT - RUDRAPRA XAG

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

OFFICE OF THE CHIEF GENERAL MANAGER CONSTRUCTION WING UTTARAKHAND PET JAL NIGAM DEHRADUN

DESIGN PERSON'S SIGNATURE:

SHEET NO. 3A


SCALE: ARCHITECTURAL 1/8" = 1'-0"

DRAWING TITLE: GROUND FLOOR

PROJECT AREA: 11341 SQ.M

ARCHITECTS: ARCHITECTS DESIGNERS

PROJECT NO. 11341/2017




Handwritten note: "Hand ARE"


Handwritten signature and approval: "Approved by [Signature]"

Vertical text on the right margin: "Uttarakhand State Police"

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT POLICE CHAUKI GORIKUND, DISTT- RUDRAPUR



DOOR & WINDOW SCHEDULE



GROUND FLOOR PLAN  
PLINTH AREA = 57.68 SQ.MT

<p>Architects</p> <p>AAKAR ARCHITECTS</p> <p>SHOP NO. 3-10 FIRST FLOOR</p> <p>DEWANGANJI SHOPPING COMPLEX</p> <p>OPP. BHADRAKALI HOSPITAL</p> <p>HAZARWARI ROAD, PATNA</p>	<p>Construction Agency</p> <p>(CONSTRUCTION WING)</p> <p>ULTRAALAND FRY JAL, MIDAM</p> <p>CHAMBA</p>	<p>PROJECT:</p> <p>PROPOSED TYPE-2 QTR. AT</p> <p>KEAPTY FALL DISTT. TERHI</p>	<p>SHEET TITLE:</p> <p>GROUND FLOOR PLAN</p> <p>DATE: _____</p> <p>Scale: _____</p> <p>Sheet No: _____</p> <p>TYPE: 2</p> <p>ARC: 01</p>
--	--	--	--

Approved

*[Signature]*


पुलिस अधीक्षक

रुद्रपुर

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT POLICE CHAUKI-GICKIKUND DISTT - KODHAPRAYAG

66

Drawn By: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Scale: \_\_\_\_\_  
 Project: \_\_\_\_\_



TERRACE PLAN

Approved

*[Signature]*  
 पुलिस अधीक्षक  
 रुद्रप्रयाग


ARCHITECTS:  
 MANKU ARCHITECTS  
 SHOP NO. 3, FIRST FLOOR,  
 DEHRA DUKHAN SHOPPING COMPLEX,  
 OPP. BHARADWAJ HOSPITAL,  
 HANUMANI ROAD, RUDRAPUR

CONSTRUCTION AGENCY:  
 (CONTRACTOR'S WORK)  
 UTKALANDEVIYALSIKAM  
 BHUBAN


PROJECT:  
 PROPOSED TYPE-2 QTR. AT  
 KEMPTY FALL, DISTT. TERAI

SHEET TITLE: TERRACE PLAN  
 DATE: \_\_\_\_\_  
 SCALE: 1/4" = 1'-0"

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT POLICE CHAUKI, GORIKUND, DISTT - RUDRAPUR



FRONT ELEVATION



SIDE ELEVATION

Hand A-02

<p>1. ARCHITECTURE AND STRUCTURE                  2. MECHANICAL AND ELECTRICAL                  3. SANITARY AND PLUMBING WORKS                  4. PAINTING AND FINISHES                  5. LANDSCAPE ARCHITECTURE                  6. INTERIOR DESIGNING                  7. FURNITURE DESIGNING                  8. SIGNAGE DESIGNING                  9. MODEL MAKING                  10. PHOTOGRAPHY                  11. VIDEOGRAPHY                  12. OTHER SERVICES AS PER CLIENT'S REQUIREMENT</p>		<p>13. DATE: _____                  14. SCALE: _____</p>
<p>ARCHITECT:                  ANSARI ARCHITECTS                  B-10, MULLA FIRST FLOOR                  DEEBROOK SHOPPING COMPLEX                  OPP. ABIMADWAL HOSPITAL,                  HARIDWAR ROAD, RISHINESH</p>	<p>CONSTRUCTION AGENCY:                  (CONTRACTOR WHO                  WILL TAKE UP THE WORK)                  CHUNDA</p>	<p>PROJECT:                  PROPOSED TYPE-2 QTR. AT                  KEMPTI FALL DISTT. TERBU</p>
<p>SHEET TITLE: _____                  DATE: _____                  SHEET NO.: _____</p>	<p>SCALE: _____                  1:50                  1:100</p>	<p>NOT TO SCALE</p>

Approved  
  
 पृथ्वी इंजीनियर्स  
 हरिद्वार

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT POLICE CHAUKI GORIKUND DISTT - RODRAPRAYAG

1. TO BE SUBMITTED TO THE ARCHT. DEPT. FOR APPROVAL.	2. TO BE SUBMITTED TO THE ARCHT. DEPT. FOR APPROVAL.
3. TO BE SUBMITTED TO THE ARCHT. DEPT. FOR APPROVAL.	4. TO BE SUBMITTED TO THE ARCHT. DEPT. FOR APPROVAL.
5. TO BE SUBMITTED TO THE ARCHT. DEPT. FOR APPROVAL.	6. TO BE SUBMITTED TO THE ARCHT. DEPT. FOR APPROVAL.



ARCHT. NO.	DATE
PROJECT	SCALE

ARCHITECT: AAKASH ARCHITECTS SHOP NO. 8, 1ST FLOOR, DEVSHIKHARI SHOPPING COMPLEX, OPP. BHARADWAJ HOSPITAL, HANDEWAR ROAD, RUDRAPUR

CONSTRUCTION AGENCY: CONSTRUCTION WING, UTTARAKHAND POLICE CHAUKI

PROJECT: PROPOSED TYPE-2 QTR. AT KEMPTY FALL DISTT. TERED

SHEET TITLE: Level  
SECTIONS: TYPE: A/B/C  
DATE: Scale: 1:100  
SHEET SCALE




Handwritten signature: *Arundhara*

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT POLICE CHAUKI AT GORIKUND DISTT-KUDNAPRAYAG

**LEGEND (ELECTRICAL)**

SL.NO	SYMBOL	DESCRIPTION	POSITION
1		LIGHT POINT/WALL BRACKETS	2.40
2		TUBE LIGHT	2.40
3		CEILING FAN	0.230
4		POWER POINT (15AMP.)	1.200
5		SWITCH BOARD	1.200
6		INDICATES CONTROLLING POINT / SWITCH BOARD	1.200
7		DISTRIBUTION BOARD	1.200



**ELECTRICAL LAYOUT**

*Handwritten signature*

Approved

*Handwritten signature*  
 गीत शर्मा  
 25/04/21

<p>Architect's Name: _____</p> <p>Scale: _____</p> <p>DATE: _____</p>	<p>Architect's Name: _____</p> <p>Scale: _____</p> <p>DATE: _____</p>	<p>Architects: <b>AAKASH ARCHITECTS</b>                  SHOP NO.3-10 FIRST FLOOR                  DEVICHOBI SHOPPING COMPLEX                  OPP. BHAWANA HOSPITAL                  HARDWAR ROAD, BHARHUI</p>	<p>CONSTRUCTION AGENCY:                  KANSHI BHOWAN                  UTTARANCHAL BHAWAN                  CLUBS</p>	<p>PROJECT:                  PROPOSED TYPE-2 QTR. AT                  KEMPTV FALL DISTT. TERAI</p>	<p>SHEET TITLE: _____</p> <p>ELECTRICAL LAYOUT</p> <p>DATE: _____</p> <p>Scale: NOT TO SCALE</p> <p>TYPE-2                  AS-30</p>
---	---	---	---	--	---


PROPOSED TYPE-2 QTR. AT POLICE CHAUKI, GORIKUND BUST- RUDRAKAYAL

1. All drawings are to be prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards Code of Practice for the design and construction of buildings.

2. The drawings are to be prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards Code of Practice for the design and construction of buildings.

3. The drawings are to be prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards Code of Practice for the design and construction of buildings.

4. The drawings are to be prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards Code of Practice for the design and construction of buildings.



WATER SUPPLY LAYOUT

Approved  
*[Signature]*  
 10/05/2024

ARCHITECT  
 AAKAR ARCHITECTS  
 SHOP NO. 10, 1ST FLOOR  
 DEVI-KOCHI SHOPPING COMPLEX  
 OPP. BHARADWAJ HOSPITAL  
 HANDEWAR ROAD, R. BIRMEER

CONSTRUCTION AGENCY  
 (CONSTRUCTION WORK)  
 UTRACANTO BEYAL NAGAM  
 CHIRAMA


PROJECT:  
 PROPOSED TYPE-2 QTR. AT  
 KEMPTO FALL, DISTT. TEHRU

SHEET TITLE:  
 WATER SUPPLY LAYOUT

DATE: 10/05/2024

SCALE: NOT TO SCALE

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT POLICE CHAUKI GOND DIST. - KEMPTON PALLE



SANITARY LAYOUT

Handwritten signature/initials

Approved  
 [Signature]  
 पुलिस अधीक्षक  
 रुद्रप्रसाद

No.	Revision	Date


ARCHITECTS  
 ANKAR ARCHITECTS  
 SHOP NO. 3, 10/FIRST FLOOR  
 DEVPOONE SHOPPING COMPLEX  
 CIVIL SUPPLY ROAD, HALDOLIA,  
 HALDOLIA ROAD, HALDOLIA

CONSTRUCTION AGENCY:  
 (CONSTRUCTION WORK)  
 UTTARLAL AND PVT. JAL ANAND  
 CHOLISA

PROJECT:  
 PROPOSED TYPE-2 QTR. AT  
 KEMPTON PALLE DIST. TENKAS

SHEET TITLE	SCALE
SANITARY LAYOUT	TYPE-2 QTR.
DATE	AREA
SUR	SCALE

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT P. POLICE CHAUKI, GORIKUND DISTT. - U.P.



CENTER LINE PLAN


Handwritten signature and 'SCALE' label.

PROJECT TITLE: CENTER LINE PLAN DATE: SHEET NO.:		SHEET TITLE: CENTER LINE PLAN DATE: SHEET NO.:
ARCHITECTS: AAKAR ARCHITECTS SHOP NO. 10, 1ST FLOOR DEVHOCHI SHOPPING COMPLEX OPP BHARADWAJ HOSPITAL HARDWAR ROAD, RISHIKEH		PROJECT: PROPOSED TYPE-2 QTR. AT KENIFY FALL DISTT. TEHRG
CONSTRUCTION AGENCY: (CONSTRUCTION WING) UTTARAKHAND P.W. & HIGHWAY DEPARTMENT		SCALE: 1:100 NOT TO SCALE

Approved

Handwritten signature and logo of 'गुलिस अधिकांक' (Gulika Adhikank).

PROPOSED TYPE-2 QIR. AT POLICE CHAUKI GORIKUND DISTT - RUDRAPUR



FOUNDATION LAYOUT

Approved  
A/LC

Approved  
8/20/23  
[Signature]

THE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN AND SHALL BE LIABLE FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS. THE CLIENT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN AND SHALL BE LIABLE FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS.

No.	Revisions	Date

ARCHITECTS:  
AAKAR ARCHITECTS  
8/10P, 1ST FLOOR,  
DEVIKUMARI SHOPPING COMPLEX,  
OPP. BHAVANAND HOSPITAL,  
HARDWAR ROAD, RAIPUR


CONSTRUCTION AGENCY:  
(CONSTRUCTION WORK)  
MTRAKAND PVT. JAL NIGAMI  
PILGRIMA

PROJECT:  
PROPOSED TYPE-2 QIR. AT  
KUMFTY FALL, DISTT. TEHR


SHEET TITLE: FOUNDATION LAYOUT  
DATE:  /  /    
PAGE:    
NOT TO SCALE

PROPOSED TYPE-2 QTR. AT PELICANG CHAUKI DISTT - RUPAKAPANYA


COLUMN FOOTING DETAIL		VERTICLE REINFORCEMENT RING (STIRRUPS)	FOOTING BASE (AxB)	BASE REINFORCEMENT LONG SPAN	D
S.NO.	COLUMN SECTION				
1.	C1/F1	4#16@	1500X1500	100 175 C/C (BOTH WAYS)	300
2.	C1/F2	4#16@	1250X1250	100 175 C/C (BOTH WAYS)	300
3.	C1/F3	4#16@	1000X1000	100 175 C/C (BOTH WAYS)	300




CROSS SECTION OF COLUMN



L-SECTION OF COLUMN WITH FOOTING DETAIL (C1/F1)



L-SECTION OF COLUMN WITH FOOTING DETAIL (C1/F2)



L-SECTION OF COLUMN WITH FOOTING DETAIL (C1/F3)


Approved

Signature

REINFORCEMENT DETAILS:  
1. IT IS ASSUMED THAT THE WORK IS TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
2. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
3. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
4. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
5. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
6. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
7. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
8. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
9. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.  
10. THE REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE REQUIREMENTS OF THE IS 456:2000 AND IS 17733:2003.

CLIENT: M/S. RAJESH ENTERPRISES, 100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/

PROPOSED LIFE-CELL POLICE CHAUKI GARDENS






CROSS SECTION OF THE BEAMS

THE BEAM LAYOUT

TIE BEAM DETAILS:

S.NO.	TIE BEAM	SECTION	BOTTOM BARS	TOP BARS	CRANK BARS	RINGS (STIRRUPS)
1	TB1	230X300	3#16MM $\phi$	3#16MM $\phi$	NIL	8#12MM $\phi$ @ 175MM C/C
2	TB2	230X300	3#12MM $\phi$	3#12MM $\phi$	NIL	8#12MM $\phi$ @ 175MM C/C
3	TB3	230X300	2#12MM $\phi$	2#12MM $\phi$	NIL	8#12MM $\phi$ @ 175MM C/C



*Handwritten signature*

Approved

*Handwritten signature*

ARCHITECT  
ANKAR ARCHITECTS  
SHOP NO. 8, 1ST FLOOR  
DELHI KANHI SHYAM COMPLEX  
OPP BHADRAWATI HOSPITAL,  
HARDWAR ROAD, KANPUR

CONSTRUCTION AGENCY  
CONSTRUCTION WORK  
SITRAKANDI SYAL, KANPUR  
UP, INDIA

PROJECT:  
PROPOSED TYPE 2 QTR. AT  
KEMPT FILL DISTT. TERBI

SHEET TITLE:  
TIE BEAM DETAIL  
DATE:  
SCALE:  
NOTE TO SCALE

No.	Author	Date






**S LAB REINFORCEMENT DETAIL:**

S.N.	SLAB SECTION	REINFORCEMENT (MAIN)	REINFORCEMENT (DISTRIBUTION)	BENT UP	NEGATIVE BENT
1	S1	10 MM. DIA. TOR @150MM. C/C.	8 MM. DIA. TOR @150 MM. C/C.	SHORT SPAN LONG SPAN ALTERNATE BARS BENT UP	NOTE- EXTRA BARS ON TOP FACE SH ALL BE PROVIDED EQUAL TO THE AREA OF BENT UP BARS IF NOT AVAILABLE FROM ADJACENT SPAN.



NOTE: (a) ALL BARS TO BE BENT AT 0.15L & TAKEN UP TO 0.25L IN ADJACENT SPAN.

**SCHEDULE OF BEAM STEEL**

Type	Size	Central zone			Support Zone			Stirrups
		At-B	At-T	At-T	At-B	At-T	At-T	
SB1	300X450	3-16Ø	2-16Ø	2-16Ø + 1-16Ø (E)	3-16Ø	2-16Ø + 1-16Ø (E)	8Ø @175c/c	
SB2	300X450	2-16Ø	2-16Ø	2-16Ø	2-16Ø	2-16Ø	8Ø @175c/c	



**SLAB & SLAB BEAM DETAIL**



GENERAL NOTE: ALL BARS TO BE BENT AT 0.15L & TAKEN UP TO 0.25L IN ADJACENT SPAN.

REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE SCHEDULE OF BEAM STEEL.

REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE SCHEDULE OF BEAM STEEL.

REINFORCEMENT SHALL BE PROVIDED AS PER THE SCHEDULE OF BEAM STEEL.

No.	Remarks	Date

**ARCHITECTS:**  
AAKAR ARCHITECTS  
SHOPNO 34/1, BASTI, KOLLON  
DEVIKONM SHOPPING COMPLEX  
HARDWAR ROAD, BISHAKESH  
PH: 9342490881

**CONSTRUCTION AGENCY:**  
(CONSTRUCTION WING)  
UTTIKAR AND PRAJNIGAM  
CLAMDA

**PROJECT:**  
PROPOSED TYPE-2 QTR. AT  
KEMPTU FALL DISTT. TERRI

**SHEET NO.:**  
SLAB & SLAB BEAM DETAIL  
DATE:  /  /  

**SCALE:**  
AS SHOWN

Approved

8033

8/2/2023




### प्रपत्र-27

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0  
  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय भूवैज्ञानिक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,  
जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 299 / जि0टा0फो0 / भवन / 2014-15

दिनांक 26 अक्टूबर 2014

विषय: जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के अन्तर्गत पुलिस चौकी माई की मढ़ी के भवन निर्माण हेतु स्थान जाखणी क0सं0 06 अ, रकबा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या भ-15/2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण दिनांक 29.10.2014 को सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आपके सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी,  
कृते भूवैज्ञानिक।  
तददिनांकित।

पृष्ठांक: / जि0टा0फो0 / भवन / 2014-15,

- प्रतिलिपि:
1. जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
  2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

HL

SPR  
11/11/14

Attested

पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

प्रभारी अधिकारी,  
कृते भूवैज्ञानिक।

जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के अन्तर्गत पुलिस चौकी माई की मढ़ी के भवन निर्माण हेतु स्थान जाखणी क0सं0 06 अ, रकबा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या भ-15/2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के अन्तर्गत पुलिस चौकी माई की मढ़ी के भवन निर्माण हेतु स्थान जाखणी क0सं0 06 अ, रकबा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली भूमि की शीघ्र भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में उक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्यामलाल कोहली, सब इन्सपेक्टर व श्री विक्रम चन्द्रवाल, कॉन्सटेबल, पुलिस चौकी मयाली की उपस्थिति में दिनांक 29.10.2014 को सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रश्नगत स्थल मयाली-जखोली मोटर मार्ग के लगभग 6.800 कि0मी0 पर मोटर मार्ग के नीचे/उत्तरपूरब में अर्द्धसमतल भूभाग के साथ अवस्थित है जो कि मोटर मार्ग के यू पिन बैण्ड के साथ लगा हुआ क्षेत्र है। उक्त स्थल जाखणी क0सं0 06 अ, रकबा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि है जो कि पुलिस चौकी माई की मढ़ी के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त स्थल की भौगोलिक स्थिति N 30° 27'33.55" E 78°25'19.8" है व स्थल की समुद्र तल से ऊँचाई 1783 मीटर है।

उक्त स्थल के उत्तर में लस्तरगाढ़ निर्मित, निचले भूभाग पर अर्द्धसमतल व लगभग 10°-15° उत्तर फेसिंग ढालयुक्त क्षेत्र, दक्षिण में मोटर मार्ग का यू पिन बैण्ड व अपस्लोप में पहाड़ी ढाल, पूरब में लस्तरगाढ़ निर्मित क्षेत्र तथा पश्चिम में जखोली-मयाली मोटर मार्ग अवस्थित है।

उक्त स्थल प्रथम दृष्ट्या अर्द्धसमतल भूभाग के रूप में दृष्टिगोचर होता है जिसमें कि स्थल के अपस्लोप में मोटर मार्ग व डाउनस्लोप में लगभग 10°-15° ढालयुक्त क्षेत्र अवस्थित है। स्थल पर वर्तमान समय में कोई मानवीय कार्यकलाप नहीं किये जा रहे हैं एवं कतिपय स्थलों पर मृदा कटाव किया गया है। स्थल के दक्षिणपश्चिम/मोटर मार्ग से लगे हुये क्षेत्र में मोटर मार्ग कटाव के दौरान उत्सर्जित मलवे को निक्षेपित किया गया है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित विभागीय प्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल लस्तरगाढ़ के अपस्लोप/दक्षिणपश्चिम का क्षेत्र है। स्थल प्रथम दृष्ट्या पूर्णरूप से स्वस्थानें चट्टानोंविहीन क्षेत्र है जिसमें स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्र के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। मृदा का रंग लाल व हल्का भूरे प्रकृति का विद्यमान है।

stw

क-

स्थल पर स्थानीय प्रजाति के वृक्ष व झाड़ियाँ उगी हुयी दृष्टिगत हो रही हैं। स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल 05°-10° उत्तरपूरब फेसिंग के साथ विद्यमान है। स्थल के समीपवर्ती भूभाग में स्वस्थानें चट्टानों का पूर्ण अभाव पाया गया एवं मोटर मार्ग कटाव क्षेत्र में चट्टानें अत्यधिक ज्वाइंटेड के साथ वैदर्ड प्रकृति की दृष्टिगोचर हो रही हैं जिसमें कि अपस्लोप क्षेत्र से जल रिसाव होने से चट्टानें अपयक्षन होने से कमजोर प्रकृति की हो गयी हैं। उक्त स्थल के समीपवर्ती क्षेत्र में चट्टानें नाइसिस व

ग्रोनोडाइराईट प्रकृति की हैं। उक्त स्थल की चट्टानों में तीव्र वैदरिंग के कारण चट्टानों की कठोरता व दृढ़ता में सतह पर कमी आ गयी है। समीपवर्ती क्षेत्र में चट्टानों की प्रसार व नति  $170^{\circ}/35^{\circ}$  उत्तरपश्चिम है। चूंकि स्थल के समीपवर्ती क्षेत्र में वैदरिंग अति तीव्र गति में है जिससे वर्षाकाल के दौरान अधोभूमि जल रिसाव हो सकता है तथा भवन आधार भराव क्षेत्र में न रखकर कटाव क्षेत्र में रखा जाय।

चूंकि स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें अधोभूमि में ताजा (दृढ़) चट्टानें अधिक गहराई में विद्यमान हो सकती हैं अतः स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित सिद्धान्तों का पालन सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा।

उक्त स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व निम्न सुझाव व शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

1. स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकी अधिनियम-1986 में निहित प्राविधानों के अनुरूप वन व अन्य विभागों से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाय।
2. उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु प्रख्यापित बिल्डिंग बाई लॉज में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण कार्य किया जाय।
3. सतह पर स्वरथानें चट्टानों का पूर्ण अभाव विद्यमान है अतः स्थल की भार ग्राह्यता क्षमता के अनुरूप ही सेफ्टी फेक्टर के समाकलन के उपरान्त भवन डिजाइनिंग, तलों की संख्या व भार का समाकलन करना आवश्यक होगा।
4. स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्र है अतः भवन आधार, रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल के आधार को सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक व उचित डिजाइनिंग के साथ निर्माण कार्य किया जाय।
5. सीवेज व सोकपिट के जल रिसाव को नियन्त्रित करने के लिए सीवेज नालियों व सोकपिट को पक्का किया जाना आवश्यक होगा जिससे अधोभूमि जल रिसाव न हो।
6. सीबरेज टैंक का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाला एवं भवन से न्यूनतम यथोचित दूरी को कायम रखते हुए किया जाना उचित होगा, ताकि इसका जल मकान को क्षति न पहुंचा सके। भूकम्प आने की दशा में अवतलन की सम्भावना को न्यून किया जा सके।
7. स्थल के ऊपर/दक्षिणपश्चिम में मोटर मार्ग विद्यमान है अतः मोटर मार्ग के नीचे उचित डिजाइनिंग के साथ ब्रेस्टवाल (पर्याप्त वीप हॉल व स्क्रीनिंग मटिरियल सहित) निर्माण कार्य किया जाय।
8. चूंकि स्थल सक्रिय भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः भवन निर्माण करते समय किसी नवविकसित तकनीक अथवा बीम एण्ड कॉलम का प्रयोग आवश्यक होगा।
9. स्थल मोटर मार्ग से लगा हुआ भूभाग है अतः रोड़ वाइडनिंग के सुरक्षित सिद्धान्तों का पालन किया जाय।
10. स्थल को सीढ़ीनुमा सोपानों में विकसित कर एक मंजिला अथवा स्थल की भार ग्राह्यता क्षमता के अनुरूप निर्माण कार्य किया जाना उचित होगा।

attested

3

जिस अधीक्षक रुद्रप्रसाद

A

11. स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्र है अतः स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित सिद्धान्तों का पालन करना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होगा।
12. जल वितरक स्टैंड पोस्ट के सतही जल प्रवाह को पक्की नालियों द्वारा नियंत्रित व अधोभूमि जल रिसाव को कम करने के लिए समुचित उपाय किये जाय।
13. भवन परिसर के सतही जल प्रवाह व अधोभूमि रिसाव को कम करने के लिए समुचित प्रबन्ध व सम्पूर्ण खुला परिसर को पक्का करना उचित होगा।
14. स्थल के अपरलोप/दक्षिणपश्चिमी कैचमेन्ट से वर्षाकाल में होने वाले सतही जल प्रवाह एवं अधोभूमि जल रिसाव को कम करने के लिये स्थल पर उचित एवं आवश्यक सिविल भूअभियांत्रिकी प्रबन्ध किये जाय जिससे अधोभूमि जल रिसाव को नियन्त्रित कर अधोभूमि जल रिसाव होने से भूधसाव को न्यून किया जा सके।
15. स्थल को भवन निर्माण हेतु विकसित करते समय स्थल के वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज को संरक्षित किया जाय।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति तथा भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव एवं शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर स्थल, वर्तमान परिस्थितियों के साथ सीढ़ीनुमा सोपानों में भवन निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

Attested

Pa

पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग



(अमित गौरव)  
सहायक भूवैज्ञानिक

रियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी

*[Handwritten Signature]*  
पुलिस अधीनक  
रुद्रप्रयाग

## :मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मौंगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन

86

भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्ष निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

HO   
पुलिस अधीक्षक  
प्रयोक्ता एजेन्सी रुद्रप्रयाग

### प्रपत्र-30

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आबन्धित नहीं की गई है।

ह0

  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

ह0

जिलाधिकारी,  
जनपद रुद्रप्रयाग।

### प्रपत्र-31

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

ह0

  
 पुलिस अधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-32

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0  
  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग।

## प्रपत्र-33

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र ।


प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
राजस्व ग्राम :-			
1	जखोली	1434	296
2	मयाली	659	155
3	बजीरा	964	214
4	ममणी	220	56
5	गोर्ती	713	161
6	बुढना	1907	395
7	बरसिर	722	163
8	कोठियाडा	288	73
9	कपणियां	568	152
10	पिनगढी	116	28
11	घेंघड	1083	253
12	क्वीला	142	51
13	काण्डा	624	132
14	त्खूर	1656	283
15	डांगी	298	65
16	तुनेटा	371	91
17	सुमाडी	1403	321
18	लेखलावडी	347	73
19	चन्दी	307	73
20	नौली	248	61
योग		14070	3096

ह0/-

  
 प्रभारी पुलिस चौकी  
 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, माई की मढी, जखोली तहसील, रुद्रप्रयाग।

ह0/-

  
 पुलिस उपाधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

ह0/-

  
 पुलिस अधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
नियमित पुलिस ग्राम :-			
21	जवाडी	1793	394
22	उल्यासू	552	101
23	रौठिया	452	144
24	कोठली	238	35
25	दरमोला	621	232
26	तरवाडी	223	24
27	कालापहाड	126	30
28	स्वीली	308	24
29	सेम	291	33
30	हुंगरी	531	56
31	सेमलता	97	34
32	गवाणा	190	51
33	फाइक्या	365	81
34	हुंगरा	230	57
35	कफना	394	93
36	थापली	97	24
37	तिमली	375	101
38	सौराखाल	551	117
39	सतनी	401	101
40	सौंदा	710	178
योग		8545	1910

ह०/-



प्रभाकरी पुलिस चौकी  
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, मंडी, जयपुर  
माई की मंडी रुद्रप्रयाग।  
कालखाल रुद्रप्रयाग

ह०/-



पुलिस उपाधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

ह०/-



पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
नियमित पुलिस ग्राम :-			
41	चौरिया	317	55
42	ढौण्डा	847	179
43	माथगांव	628	145
44	मरगांव	375	69
45	मोसड	352	69
46	बांसी	564	137
47	चौरा	496	112
48	पौठी	1486	334
49	हयूना	196	25
50	भटवाडी	541	103
51	कुरछेली	777	161
52	चोपडा	388	94
53	नाग	222	53
54	पूर्वियाणा	199	42
55	खरगेड	218	66
56	कुनियाली	243	46
57	चौण्डा	449	15
58	सिराई	307	38
59	पल्लीगाड	278	47
60	भ्यूता	185	49
योग		3068	1839

ह0/-

  
 प्रमाण  
 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी  
 नाइ की मंडी रुद्रप्रयाग।  
 कोतवाली रुद्रप्रयाग

ह0/-

  
 पुलिस उपाधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

ह0/-

  
 पुलिस अधीक्षक  
 रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
नियमित पुलिस ग्राम :-			
61	स्यारी	113	30
62	सेरा	104	32
63	पपडासू	102	29
64	मलियासू	593	27
65	कण्डाली	323	102
66	मरगांव	157	35
67	जैली	361	91
68	पाली	286	62
69	शीशौं	510	104
70	भिमली	286	66
71	पन्दरौला	379	87
72	बन्दरतोली	173	35
73	तैला	1222	256
74	कुमडी	1092	245
75	मूसादुंग	738	166
76	फलाटी	381	88
77	चाका	784	188
78	पांजणा	403	95
79	आट	500	112
80	प्रेमनगर	200	45
योग		8716	1895

ह०/-

  
 प्रभारी  
 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी  
 माई की मंडी रुद्रप्रयाग।  
 कोशमल रुद्रप्रयाग

ह०/-

  
 पुलिस उपाधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

ह०/-


  
 पुलिस उपाधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
नियमित पुलिस ग्राम :-			
81	जखनोली	729	144
82	धनकुडी	506	14
83	धारकोट	737	145
84	उरोला	65	15
85	उछौला	151	177
86	मरगांव	157	35
87	मवाणगांव	385	82
88	बरसारी	70	13
89	रहड	182	43
90	भणगा	366	77
91	नन्दवाणगांव	149	32
योग		3497	777
कुल योग		43,896	9,517

ह0/-  
  
 प्रभारी,  
 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी,  
 नाई की मूर्दी रुद्रप्रयाग।  
 कोतवाली रुद्रप्रयाग

ह0/-  
  
 पुलिस उपाधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

ह0/-  
  
 पुलिस अधीक्षक,  
 रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

## प्रपत्र-34

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मट्टी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 15.50 लाख प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 0.260 है0 वन भूमि का कुल मूल्य रुपये 4,81,500- होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट ₹ 185.00 प्रतिवर्गमीटर की दर से प्रतिशत की दर से रुपये ₹ 185.00 होता है।

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

जिलाधिकारी,

जखोली  
तहसीलदार  
जखोली

उपजखोली गि.प.स  
जखोली

रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रति हस्ताक्षरित

विना भविष्यारी  
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।  
वृक्षारोपण योजना।

वृक्षारोपण स्थल का नाम.....जखोली (631).....क्षेत्रफल 0.260.....है0।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या.....520.....

क0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु0 में)	योग
	<u>विषण संलग्न है</u>			<u>29283.00</u>

नोट:- उक्त योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ।  
सिलन है।

प्रतिहस्ताक्षरित  
(सिलन)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

(हस्ताक्षर)  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य

पारियोजना का नाम:-जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु सीन जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क० स० ०६ अ में रकवा ०.२६० है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- ०.२६० है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- ५२० ( २००० पौध / है०)

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- जाखणी कक्ष स०(६३२).....

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रेंज - दक्षिणी जखोली

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमाकन	०.२६० है०	७८.०००	२०.२८०
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	०.२६० है०	२५४३.०००	६६१.१८०
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य ( फेन्सिंग ) कार्य	०.२६० है०	१५३०९.००	३९८०.३४
4	गडढा खुदान (०.३०x०.३०x०.४५)	५२० गडढा	५.४२०	२८१८.४००
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	५२० पौध	४.३००	२२३६.०००
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना, वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकता अनुसार गडढे खोदना	०.२६० है०	६२४.०००	१६२.२४०
7	अन्य कार्य ( जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्या हेतु	०.२६०० है०	६२४०.००	१६२२.४०
योग - प्रथम चरण				११५००.८४०

द्वितीय चरण

1	गडढा भरान कार्य (०.३०x०.३०x०.४५) ( प्रति १००)	५२० पौध	०.९७	५.०४
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	५२० पौध	१.२०	६२४.००
3	बैग पौध का दुलान वाहन से २५ कि०मी०	५२० पौध	६.००	७८०.००
4	पौधारोपण व थालावन्दी	५२० पौध	१.८९	९८२.८०
5	निराई गुडाई व मल्विंग ( दो बार)	५२० पौध	१.११	५७७.२०
6	खाद व दवा पर व्यय	०.२६० है०	९५०.००	२४७.००
7	प्रथम वर्ष में देख -रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम ९ माह)	०.२६० है०	४६८ प्रतिमाह / प्रति है०	१४६०.१६
8	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	०.२६० है०	L-S	७८०.००
योग- द्वितीय चरण				५४५६.२०
योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण				१६९५७.०४

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य १२ माह	०.२६० है०	४६८ प्रतिमाह / प्रति है०	१४६०.१६
2	अन्य कार्य	०.२६० है०	३१०.००	८०.६०
योग- तृतीय चरण				१५४०.७६

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य १२ माह	०.२६० है०	४६८ प्रतिमाह / प्रति है०	१४६०.१६
2	अन्य कार्य	०.२६० है०	३१०.००	८०.६०
योग- चतुर्थ चरण				१५४०.७६

पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य )	0.2600	है०	310.00	80.60
<b>योग- पंचम चरण</b>					<b>1540.76</b>
<b>छठवां चरण</b>					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.2600	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य )	0.2600	है०	310.00	80.60
<b>छठवां चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>
<b>सातवां चरण</b>					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.2600	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य )	0.2600	है०	310.00	80.60
<b>सातवां चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>
<b>आठवां चरण</b>					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.2600	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य )	0.2600	है०	310.00	80.60
<b>आठवां चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>
<b>नवां चरण</b>					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.2600	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य )	0.2600	है०	310.00	80.60
<b>नवें चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>
<b>दसवां चरण</b>					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.2600	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य )	0.2600	है०	310.00	80.60
<b>दसवें चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>
<b>कुल योग—</b>					<b>29283.12</b>
<b>कुल धनराशि</b>					
प्रथम चरण					11500.84
द्वितीय चरण					5456.20
तृतीय चरण					1540.76
चतुर्थ चरण					1540.76
पंचम चरण					1540.76
षष्ठम चरण					1540.76
सप्तम चरण					1540.76
अष्टम चरण					1540.76
नवम चरण					1540.76
दशम चरण					1540.76
<b>कुल योग</b>					<b>29283.12</b>

  
 प्रिंसिपल  
 प्रिंसिपल वताधिकारी  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
 रुद्रप्रयाग

## प्रपत्र-39

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन मय रख-रखाव।

वृक्षारोपण स्थल का नाम जाखणी (6 अ) क्षेत्रफल 0.26 है0।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 100

क0स0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु0 में)	योग
	<u>खिलाने वाले वृक्ष</u>			<u>164971=रु</u>

नोट:- उक्त योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

संलग्न है।

[Signature]  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग

[Signature]  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित परियोजना हेतु 100 वृक्षों के वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राककलन

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु सीन जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0 स0 08 अ में रकवा 0.260 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- जाखणी कक्ष स0 6 अ

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 100

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज - दक्षिणी जखोली

प्रथम चरण

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रु0)	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.260	है0	78.000	20.280
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.260	है0	2543.000	661.180
3	ट्रीगाड क्रय करना	100	सं0	1350.000	135000.000
4	गडदा खुदान (0.30x0.30x0.45)	100	गडदा	5.420	542.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	100	पौध	4.300	430.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना, वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकता अनुसार गडदे खोदना	0.26	है0	624.000	162.240
8	अन्य कार्य	0.26	सं0	310.000	80.600
<b>योग - प्रथम चरण</b>					<b>136896.300</b>

द्वितीय चरण

1	गडदा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	100	पौध	0.97	0.97
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	100	पौध	1.20	120.00
3	100 बैग पौध का दुलान वाहन से 25 कि0मी0	100	पौध	6.00	150.00
4	ट्री गार्ड दुलान करना	100	L.S.	55.000	5500.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	100	L.S.	50.000	5000.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	100	पौध	1.89	189.00
7	खाद व दवा पर व्यय	0.26	है0	950.00	247.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.26	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	1460.16
9	8.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशीलपदार्थों को हटाना प्रति है0	0.26	है0	289.00	75.14
14	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	0.26	है0	L-S	2500.00
16	अन्य कार्य	0.26	है0	310.00	80.60
<b>योग- द्वितीय चरण</b>					<b>15322.87</b>
<b>योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण</b>					<b>152219.17</b>

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.26	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	1460.16
3	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ. प्रशिक्षण	0.26		1640.00	426.40
4	अन्य कार्य	0.26	है0	310.00	80.60
<b>योग- तृतीय चरण</b>					<b>1967.16</b>

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.26	₹0	468 प्रतिमाह / प्रति हे०	1460.16	
2	अन्य कार्य	0.26	₹0	310.00	80.60	
<b>योग- चतुर्थ चरण</b>					<b>1540.76</b>	
<b>पंचम चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० आधार मानकर)	0.26	₹0	468 प्रतिमाह / प्रति हे०	1460.16	
2	अन्य कार्य	0.26	₹0	310.00	80.60	
<b>योग- पंचम चरण</b>					<b>1540.76</b>	
<b>छठवां चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.26	₹0	468 प्रतिमाह / प्रति हे०	1460.16	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.26	₹0	310.00	80.60	
<b>छठवां चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>	
<b>सातवां चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.26	₹0	468 प्रतिमाह / प्रति हे०	1460.16	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.26	₹0	310.00	80.60	
<b>सातवां चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>	
<b>आठवां चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.26	₹0	468 प्रतिमाह / प्रति हे०	1460.16	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.26	₹0	310.00	80.60	
<b>आठवां चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>	
<b>नवां चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.26	₹0	468 प्रतिमाह / प्रति हे०	1460.16	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.26	₹0	310.00	80.60	
<b>नवें चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>	
<b>दसवां चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.26	₹0	468 प्रतिमाह / प्रति हे०	1460.16	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.26	₹0	310.00	80.60	
<b>दसवें चरण का योग :-</b>					<b>1540.76</b>	
<b>कुल योग-</b>					<b>164971.65</b>	
<b>कुल धनराशि</b>						
					प्रथम चरण	136896.30
					द्वितीय चरण	15322.87
					तृतीय चरण	1967.16
					चतुर्थ चरण	1540.76
					पंचम चरण	1540.76
					षष्ठम चरण	1540.76
					सप्तम चरण	1540.76
					अष्टम चरण	1540.76
					नवम चरण	1540.76
					दसवें चरण	1540.76
					<b>कुल योग</b>	<b>164971.65</b>

  
 प्रभेगीय वनाधिकारी  
 प्रयाग वन प्रभाग

# प्रपत्र- 41

102

## मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु सीन जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी कठ स० 06 अ में रकवा 0.260 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- जाखणी कठ स० 6 अ

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 0.26 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या ( कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध ) 520 पौध

### प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.260 है०	78.000	20.280
2	स्थल सफाई कार्य	0.260 है०	2543.000	661.180
3	कुली दीवारबन्दी कार्य / फनिर्संग ( 150 मी प्रति है० = 81 घ०मी० @ 172 /-घ०मी०	0.260 है०	15309.000	3980.340
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	520 गड्ढा	5.420	2818.400
5	डी०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	13.0 कियार०	19.000	247.000
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है० )	0.260 है०	624.000	162.240
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	2844 पौध	4.300	12229.200
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य ( 10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक / स्टोन चैकडैम 8 X 4588 = 36700.00	0.260 है०	62400.000	62400.000
	3. वाटर हावेरिंग टैंक (3 x 2.50 x 1.0) 5x5140 = 25700.00			
	योग- 62400.00			
	योग - प्रथम चरण			82518.640

### द्वितीय चरण

1	झाडी कटान (लेन्टाना गाजर घास / काला बांस)	0.260 है०	1287.00	334.62
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	2844 गड्ढा	0.97	2758.68
3	पौध डुलान कार्य	2844 पौध	6.00	17064.00
4	पौधारोपण व थालाबन्दी	2844 पौध	1.89	5375.16
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई व मलचिंग कार्य	2844 पौध	1.29	3668.76
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई व मलचिंग कार्य	2844 पौध	1.11	3156.84
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	2844 पौध	1.20	3412.80
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.260 है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1095.12
9	अन्य कार्य	0.26 है०	310.00	80.60
	योग- द्वितीय चरण			36946.58
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			119465.22

### तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	2844 पौध	5.50	15642.00
2	पौध डुलान कार्य	2844 पौध	6.00	17064.00
3	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण कार्य	2844 पौध	3.20	9100.80
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	2844 पौध	1.31	3725.64
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	2844 पौध	1.11	3156.84
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह )	0.260 है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.260 है०	310.00	80.60
	योग- तृतीय चरण			50149.44

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य )					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.260	है०	310.00	80.60
योग- चतुर्थ चरण					1540.76
पंचम चरण (रख रखाव कार्य )					
1	वनीकरण चौकी दार का पारिश्रमिक 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.260	है०	310.00	80.60
योग- पंचम चरण					1540.76
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.260	है०	310.00	80.60
छठवां चरण का योग :-					1540.76
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.260	है०	310.00	80.60
सातवां चरण का योग :-					1540.76
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.260	है०	310.00	80.60
आठवां चरण का योग :-					1540.76
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.260	है०	310.00	80.60
नवां चरण का योग :-					1540.76
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.260	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	1460.16
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य )	0.260	है०	310.00	80.60
दसवां चरण का योग :-					1540.76
कुल धनराशि					
				प्रथम चरण	82518.64
				द्वितीय चरण	36946.58
				तृतीय चरण	50149.44
				चतुर्थ चरण	1540.76
				पंचम चरण	1540.76
				षष्ठम चरण	1540.76
				सप्तम चरण	1540.76
				अष्टम चरण	1540.76
				नवम चरण	1540.76
				दशम चरण	1540.76
				कुल योग	180399.98
कुल योग—					180399.98
				या	142400.00

प्रस्तावित  
 प्रयोगीय वनाधिकारी  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
 रुद्रप्रयाग

### प्रपत्र-41

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

मलवा निस्तारण एवं उसके उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण एवं उसके उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा :-

- 1- Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied.
  - 2- Quantity of muck to be utilized in the project activities.
  - 3- Balance Quantity of muck which requires disposal/management plan.
  - 4- Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.
  - 5- Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal in proposed on non forest land photograph & carruing capacity of proposed dumping site (muck disposal site)
  - 6- Development of dumping site Construction of retaining walls and other structure as perrequirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.
  - 7- Rehabilitation of dumping site like levelling. Planting of grass, shrubs and tree species.
- Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be erected must be meintioned.

Undertaking by the user agency has to given to the effect that

- 1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non-Implementation of plan; they will be liable to penalty/action.
- 2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.

**Instruction: - Dumping site should not be located in reserve forest.**

ह0

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक: 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी..... 30f
2. हरियाली का घनत्व..... 30f
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0..... 6.57000f
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 0.260 है0 अर्थात् 2600 वर्ग मीटर।
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि..... 1.70,820 = 00

ह0/-  
[Signature]

वन दरोगा,  
लस्या अनुभाग,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग।

ह0/-  
[Signature]

वन क्षेत्राधिकारी,  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।  
दक्षिणी जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

ह0/-

उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-  
[Signature]  
प्रतिव्यक्तिगत  
प्रभागीय वनाधिकारी  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।


नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

## प्रपत्र-43

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसाल-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जास्रणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/7  
  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।


प्रपत्र-44


परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जानें वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क0 सं0	कार्य का नाम	इकाई/संख्या P.N. 2 9 term No	गपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु0)	घनराशि रु0
			ल0	चौ0	ऊँ0				
1	आर0सी0सी0पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	10 X 1	1.00	0.50	0.70	3.50	Cement	240.50	841.75
2	आर0सी0सी0पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना						L.S		500 = 50
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	10 X 1 10 X 1	1.00 0.30	0.50 0.30	0.10 1.20	0.50 1.50	Cement	7537.80	11976.40
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना							6369/-	7950.00
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	10 X 4	0.30		1.20	14.4			
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	10 X 1	0.30	0.30		0.90			
7	पानी की डूलाई आदि					15.30		147.40	2255.22
	कुल योग								23,523.37

ह0/-  
  
 वन दरोगा,  
 लस्या अनुभाग,  
 दक्षिणी जखोली रेंज,  
 रुद्रप्रयाग।

ह0/-  
  
 वन क्षेत्राधिकारी,  
 दक्षिणी जखोली रेंज,  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।  
 दक्षिण जखोली रेंज  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

ह0/-  
 उपप्रभागीय वनाधिकारी  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।

ह0/-  
  
 प्रमाणित वनाधिकारी  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
 रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर निर्गत किया जायेगा। प्रकरण विशेष की परिस्थिति के अनुसार उक्त प्राक्कलन के प्रारूप में यथा आवश्यक संसोधन किये जा सकते हैं।

## प्रपत्र-44.1

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन में आने वाला प्राक्कलित व्यय प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वहन किये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन में आने वाला व्यय जो भी प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा प्राक्कलित किया जायेगा, का वहन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में भुगतान कर किया जायेगा।

ह0

  
 पुलिस अधीक्षक  
 पुलिस अधीक्षक  
 रुद्रप्रयाग।

## प्रपत्र-45

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

### लीज अवधि का प्रमाण पत्र।

लागू नहीं है।

ह0  
प्रतिष्ठित  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वनप्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

ह0  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

नोट:- उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर निर्गत किया जायेगा। प्रकरण विशेष की परिस्थिति के अनुसार उक्त प्राक्कलन के प्रारूप में यथा आवश्यक संसोधन किये जा सकते हैं।

### प्रपत्र-46

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील-जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.260 है0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विषयक।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र।

लागू नहीं है।

प्रमाणित  
जनपद वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

ह0  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: भ-15/08

दिनांक: दिसम्बर 31 2014

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्थान जखोली में रि0पुलिस चौकी माई की मटी के भवन निर्माण हेतु 0.260 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आन लाईन किये जाने विषयक।

कृपया अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के आपको सन्दर्भित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र संख्या 1536/FPUK/Others /6951/2014 दिनांकित 12-12-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपर्युक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अंकित कमियों का आन लाईन निराकरण कर प्रस्ताव दो मूल प्रतियों में उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

अतः उक्त कमियों का निराकरण किये जाने के उपरान्त पूर्ण प्रस्ताव की तीन प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि 01 प्रति जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग एवं कार्यालय प्रति सुरक्षति रखते हुए 02 प्रतियां अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को तत्काल अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

पुलिस उपाधीक्षक  
कृते पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को उक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

2 -जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ।



ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364-233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।**

पत्रांक /1342(2) दिनांक 2-1- /2015::

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,  
पौड़ी।

**विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के स्थान जखोली में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के भवन निर्माण हेतु 0.260 है० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्ताव में अंकित कमियों को ऑनलाइन निराकरण कर प्रस्ताव दो प्रतियों में महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्न:- उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या 1342 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग को प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

✓ प्रभागीय वनाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

# LAY OUT PLAN FOR CONSTRUCTION OF ROP MAI KI MADHI'S BUILDING AT JAKHAND (GA) JAKHOLI

संकेत

1. प्रस्तावित भूमि की सीमा -	
2. वृक्षमूलक भूमि जिसका विभाग द्वारा निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।	
3. वृक्षमूलक भूमि जो विभाग द्वारा उपयोग की जाती है।	
4. प्रस्तावित निर्माण/पार्किंग के लिए स्थिति भूमि	

*Handwritten signature*  
 पुलिस अधीक्षक  
 पूर्व पुलिस अधीक्षक  
 जयपुर



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मठी के भवनों के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकबा 0.26 है0 अर्थात 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण विषयक

प्रस्तावित परियोजना हेतु चिन्हित भूमि के एवज में अन्य भूमि चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत पुलिस चौकी जनपद सृजन के साथ ही वर्ष 1997 में जनपद टिहरी की उप तहसील जखोली के इस जनपद में समाविष्ट होने पर जनपद के पुलिस कार्य क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित हुई है। (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 15 से 19 पर हस्तान्तरण आदेश संलग्न हैं) विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यालयों / आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुलिस विभाग की अपनी भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पृथक से भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जबकि भूमि हस्तान्तरण / क्रय / अधिग्रहण के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से निविदा / विज्ञप्ति प्रकाशन का अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर कोई प्राविधान नहीं है। विभागीय स्तर पर सभी आवश्यक कार्यालयों / आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन / क्रय की नीति / अधिग्रहण पूर्व से ही जिलाधिकारी स्तर से होता रहा है।

उल्लेख करना है कि जनपद टिहरी से हस्तान्तरित प्रश्नगत पुलिस चौकी जनपद सृजन से पूर्व किराये के भवन पर संचालित थी, परियोजना अधिष्ठापन की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2003 ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से परियोजना की तब की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया (पत्र संख्या भ-15/2003 दिनांकित 25-11-2003, 10-12-2003 की छायाप्रति संलग्न), तदक्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या मैमो 26-12 (98-99) दिनांकित 28-02-2004 के द्वारा भूमि चिन्हित की गयी थी (छायाप्रति संलग्न)।

प्रस्तावित भूमि काफ़ी प्रयासों के उपरान्त भी कतिपय कारणों से पुलिस विभाग को हस्तान्तरित नहीं हो पायी है एवं प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ द्वारा यह कारण अंकित करते हुए वापस कर दिया गया कि " उपरोक्त प्रस्ताव आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित है जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के लिये दी जा सकती है, यदि सरकार कार्यालय भवन के लिये

स्वीकृति चाहती हो तो 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करे।" ( छायाप्रति पत्र संख्या 08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 227 / 2010 / एफ0सी0 / 2245 दिनांकित 17-01-2011 संलग्न)।

वर्ष 2011 में शासन द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रि0पुलिस चौकी में अधिसूचित कर 66 अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी, इन राजस्व ग्रामों के सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण सम्पूर्ण चौकी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा आपदा आदि कारणों के दृष्टिगत पुलिस बल की त्वरित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु चौकी के कार्य क्षेत्र के मध्यस्थ / तहसील मुख्यालय के निकट आम जनहित में चौकी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। (कार्यालय के पत्र संख्या भ-15/2003 दिनांकित 13-04-2012 की छायाप्रति संलग्न) एवं तदनुसार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से भूमि चिन्हित किये जाने का अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न पत्र संख्या भ-15/2003 दिनांकित 19-02-2012 संलग्न) ।


उक्त क्रम में जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नगत परियोजना एवं तहसील स्तर पर प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के निर्माण हेतु स्थान मयाली के ज0वि0र0 ख0सं0 4047 के खसरा न0 0.627 हे0 मध्ये रकवा 0.600 हे0 राज्य सरकार की भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु चिन्हित की गयी एवं शासन के पत्र संख्या 2160/XVIII(II)/2013-18 (60) / 2013 दिनांकित 21-11-2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा भूमि की निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, किन्तु प्रश्नगत भूमि की स्वीकृति के उपरान्त उप जिलाधिकारी जखोली द्वारा मौका तस्दीक एवं सीमांकन किये जाने पर पाया गया कि " स्वीकृत भूमि मौके पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूस्खलन युक्त होने के कारण निर्माण हेतु उपयुक्त न होने के कारण राज्य सरकार की अन्य भूमि उपलब्ध न होने के फलस्वरूप वन भूमि हस्तान्तरण का सुझाव दिया गया" ( उप जिलाधिकारी जखोली के पत्र संख्या 216/र0का0-2014-15 दिनांकित 02-07-2014 की छायाप्रति संलग्न)।

उक्तांकित स्वीकृत भूमि के मौके पर अपेक्षा के विपरीत होने के फलस्वरूप भूमि की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचित करते हुए अन्यत्र निःशुल्क राजकीय भूमि हस्तान्तरण का अनुरोध किया गया (पत्र संख्या भ-09/2011 दिनांक 30-06-2014 की छायाप्रति संलग्न)। यहां यह भी उल्लेख करना है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

2011-12 की कार्ययोजना में स्थान गौरीकुण्ड में प्रस्तावित पुलिस चौकी के निर्माण कार्य (स्वीकृत धनराशि 94.45 लाख) को गौरीकुण्ड में आपदा के उपरान्त निर्माण हेतु उपयुक्त परिस्थितियां न होने के कारण स्थान मयाली में पुलिस विभाग की उक्त भूमि पर निर्माण किये जाना प्रस्तावित किया गया एवं शासन द्वारा तदनुसार स्वीकृति भी उपलब्ध करायी गयी किन्तु उक्त स्वीकृत भूमि के विवादास्पद होने तथा विभागीय स्तर पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है विभाग द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के भूमि की अनुपलब्धता के कारण पुनर्रक्षण होने की सम्भावनाओं को देखते हुए पुनः जिलाधिकारी प्रशासन से स्वीकृत भूमि के एवज में स्थान जखोली एवं मयाली के मध्य भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया (कार्यालय के पत्र संख्या भ-15/2011 दिनांकित 05-07-2014 की छायाप्रति संलग्न )।

कार्यालय के अनुरोध पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा भी उपजिलाधिकारी जखोली से स्वीकृत भूमि के एवज में राज्य सरकार की भूमि और इसकी अनुपलब्धता में वन भूमि का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। (पत्र संख्या 3910/बीस-56(2013-14) दिनांक 15-07-2014 की छायाप्रति संलग्न)। उक्त क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप जिलाधिकारी जखोली से अनुरोध किया गया कि स्वीकृत भूमि के एवज में विभाग को राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि उपलब्ध करायी जाये एवं यदि राज्य भूमि की विषम परिस्थितियों में न्यून उपलब्धता भी न हो तो ऐसी परिस्थितियों में वन भूमि (यथा राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारणों से मुक्त भूमि) चयनित करते हुए प्रस्तावित की जाये (कार्यालय के पत्र संख्या भ-15/2011 दिनांकित 19-07-2014 की छायाप्रति संलग्न) प्रतिउत्तर में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 29 के अनुसार दर्शाये गये निरस्त किये गये समरेखण जो विभाग को हस्तान्तरण हेतु चिन्हित किये गये थे को निरस्त करते हुए प्रस्तावित भूमि न्यूनतम / उपयुक्त / अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित कर स्वीकृति के क्रम में प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि परियोजना की महत्ता एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के क्षेत्रान्तर्गत अन्य कोई वैकल्पिक सिविल / नाप / बेनाप / राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित भूमि को पुलिस विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित करते हुए स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

  
पुलिस अधीक्षक  
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक,  
पत्रांक:- 15/2003

अधीक्षक,

जनपद रुद्रपुराग  
दिनांक: नवम्बर 28/2003

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
रुद्रपुराग ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि नवसूचित जनपद-रुद्रपुराग के पुलिस चौकी माईकीमडी, जनपद-रुद्रपुराग किराये के भवन पर चल रही है। जहाँ पर पुलिस कर्मचारियों के आवास तथा पुलिस चौकी भवन बन-निर्माण कराया जाना है जिसके लिये भूमि की नितान्त आवश्यकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सैन्यन खसरा व नक्शे का अवलोकन कर अपना अनुमोदन इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें, ताकि भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराया जा सके ।

सैन्यन:- उपरोक्तानुसार

प्रभारी पुलिस अधीक्षक  
रुद्रपुराग



11 कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग 11  
संख्या ~~सेओ~~ 126-12/98-99/ दिनांक 28 फरवरी 2004,  
सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग ।

विषय- पुलिस चौकी भाई की मढ़ी के भावन निर्माण हेतु भूमि  
चयन के सम्बन्ध में ।  
=====

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं०- 15/2003 वि०-  
25-11-2003 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने  
पुलिस चौकी भाई की मढ़ी के भावन निर्माण हेतु भूमि चयन करने हेतु  
अनुरोध किया है ।

उपरोक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है, कि पुलिस चौकी  
भाई की मढ़ी के निर्माण हेतु आपके द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध  
में तहसीलदार रुद्रप्रयाग जाँच करवाई गई है तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने पुलिस  
चौकी के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के डा०का० सं०-2/281 के डासरा  
सं०-5614, 5615 एवं 5616 मध्ये कुल रक्बा 0.104 हे० भूमि का चयन  
कर संस्तुति की गई है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि चयनित की गई भूमि  
पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होते हैं।

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के तहत  
प्रस्ताव नियमानुसार सः प्रतिशे में गठित करते हुये, सम्पत्ती औषचारिकतासे  
पूर्ण करने के उपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।  
चयनित की गई भूमि के नक्शे डासरे की प्रति भी संलग्नकर आपको  
प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक-यथोपरि ।  
=====

*(Handwritten signature)*  
28/02/04

प्रभारी अधिकारी,  
कृते जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।

He  
for Na pl  
SP RPS  
9/3/04

He  
Dr  
10/3/04

सेवा में,

- 1- उम खिलाधिकारी, रुद्र, याग
- 2- मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग
- 3- प्रशासकीयनाधिकारी, जेदारनाथ वन्य जीव प्रभाग मोपेश्वर (ज्योती)
- 4- वन सेवाधिकारी, रेंज कार्यालय, रुद्रप्रयाग
- 5- प्रतिसार निरीक्षक, रुद्रप्रयाग
- 6- पट्टी पटवारी-जवाही, तह- ज्योती, रुद्रप्रयाग

कृपया खिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्रांक:- यमो/26-12/

99-2000/ दिनांकित 22-4-2004 के द्वारा पुलिस चौकी माईकीसटी के खन हेतु प्रस्तावित भूमि के लिए संयुक्त निरीक्षण को तिथि दिनांक- 29-4-2004 नियत की गई थी जिसमें आप द्वारा उक्त अपने प्रतिनिधि द्वारा भूमि के संयुक्त निरीक्षण हेतु आपके द्वारा शान नहीं लिया गया जिस कारण संयुक्त निरीक्षण उक्त तिथि को नहीं किया गया।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप स्वयं उक्त अपने प्रतिनिधि को दिनांक: 8-7-2004 को पुलिस कार्यालय में समय-10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि आपकी उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण कराया जा सके जिससे आपके द्वारा इस कार्यालय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

प्रवारी पुलिस अधीक्षक  
जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- धानाधक-रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित है कि दिनांक: 8-7-2004 को तहसीलदार ज्योती, पटवारीजवाडी को अपने साथ इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

शोपनीय कार्यालय  
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग  
क्रमांक 210-01-714  
दिनांक 12/2/11

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून।  
संख्या 1983/1जी-2647 (रुद्र0) : दिनांक: देहरादून: 05 फरवरी, 2011.

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,  
जनपद-रुद्रप्रयाग।

विषय-जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पुलिस चौकी माई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों  
के निर्माण हेतु 0.104 हे० वन भूमि के वन वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ-भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यूसीपी/09/227/2010/एफ0सी0/2245 दिनांक  
17-01-2011. (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपरोक्त विषयक संदर्भित  
पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त प्रस्ताव  
आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित है, जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के  
लिये दी जा सकती है। आवासीय भवन के लिये वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति सम्भव नहीं है। भारत सरकार  
द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से यह भी सूचित किया गया है कि यदि प्रयोक्ता एजेन्सी कार्यालय भवन के  
लिये स्वीकृति चाहती है, तो 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित एक सशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जाय,  
जिसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विचार किया जा सकता है।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भारत  
सरकार द्वारा वंशित प्रस्ताव पूर्ण सूचनाओं सहित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से 3 प्रतियों में  
यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा  
सके।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या- /1जी-2647 (रुद्र0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संलग्न-यथोपरि।

HC  
Sinnaple

(राजेन्द्र कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

SP  
RPG

12/02/2011

भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,  
सीक्टर एच, अलीगंज,  
लखनऊ-226024  
टेलीफोन-0522-2326896

गोपनीय कार्यालय  
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग  
कतान... 27/1/11  
दिनांक... 27/1/11

पत्र सं० 8बी/यूसी.पी/09/227/2010/एफ.सी/2245

दिनांक: 17.01.2011

सेवा में,  
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,  
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पुलिस चौकी माई की मढी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.104 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अतिरिक्त वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक- 7-44/2010-आर०ओ०एच०क्यू०, दिनांक 21.12.2010

महोदय  
उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 165/1जी-2647 (रुद्र०) दिनांक 24.07.2010 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विधायकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्तावत प्रकरण में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव आवासीय भवनों के निर्माण से संबंधित है जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के लिए दी जा सकती है आवासीय भवन के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति संभव नहीं है।


अतः यदि राज्य सरकार कार्यालय भवन के लिए स्वीकृति चाहती है तो 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विचार किया जा सकता है।

भवदीय,

(वाई० के० सिंह चौहान)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रांतीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
4. आदेश पत्रावली।

  
(वाई० के० सिंह चौहान)  
वन संरक्षक(के.)

HC (वन)  
Tonnalis  
  
SP  
RP  
27/1/2011

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: भ-15/2003

दिनांक: फरवरी 14, 2012

सेवा में,


जिलाधिकारी,

जनपद-रुद्रप्रयाग।

कृपया अवगत कराना है कि इस जनपद की पुलिस चौकी माई की नदी के आवासीय/अनावासीय भवनों निर्माण हेतु स्थान दरमोला के ख0या0स0 02/202 के खसरा सं0 5614,5615,5616 मध्ये कुल 0.104 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि चिह्नित कर पुलिस विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु वन विभाग को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

उक्त भूमि का चयन वर्ष 2008 में पुलिस चौकी माई की नदी के क्षेत्र का गव्यस्थ होने कारण किया गया था चूंकि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या: 2225(711)/XX-1/11/154/ई.ग./2011 दिनांकित: 12.12.2011 के द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में अधिसूचित कर 66(छियासट) अतिरिक्त राजस्व मामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की अधिसूचना जारी की है उल्लेखनीय है कि पूर्व चिह्नित भूमि इन अतिरिक्त राजस्वमामों के सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के उपरान्त सम्पूर्ण क्षेत्र का गव्यस्थ क्षेत्र नहीं है, जबकि पुलिस चौकी/थाने में सम्पूर्ण क्षेत्र की लगभग बराबर दूरी होनी आवश्यक प्रतीत होती है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

अतः अनुरोध है कि पुलिस चौकी माई की नदी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्थान दरमोला के ख0या0स0 02/202 के खसरा सं0 5614,5615,5616 मध्ये कुल 0.104 हे0 चिह्नित सिविल एवं सोयम वन भूमि को निरस्त करते हुये माई की नदी चौकी के क्षेत्रान्तर्गत गव्य क्षेत्र में पुलिस विभाग को निशुल्क भूमि स्वीकृत किये जाने हेतु भूमि चिह्निकरण की कार्यवाही के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजस्व अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

  
( विगला गुज्याल )  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

- प्रतिलिपि: प्रभागीय जनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग/ जखोली को उक्त कग में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  - प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार पुलिस चौकी माई की नदी के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही करते हुये अगिलम्ब आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

द्वारा फैंक्स/पोलनेट।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फोरैस्ट कालोनी, देहरादून को उनकें पत्र संख्या: 1301/2647 दिनांकित: 05.02.2011 के कग में।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रो0/मौडनाईजेशन, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

  
( विगला गुज्याल )  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम - रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान  
जखोली में जाखणी-6 अ मध्य 0.26 है0 वन भूमि हस्तान्तरण विषयक।

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस विभाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु तहसील जखोली (गयाली) सीमान्तर्गत उपयुक्त/प्रयाप्त राज्य सरकार की भूमि/सिविल वेनाप/नाम भूमि चयन का भरपूर प्रयास किया गया किन्तु उक्त क्षेत्रान्त कोई प्रयाप्त/उपयुक्त सरकारी/सिविल/वेनाप/नाम भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित परियोजना की महत्ता/आवश्यकता को देखते हुये स्थान जखोली के जाखणी-6 अ के मध्य 0.26 है0 वन भूमि सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण हेतु चिन्हित की गयी है।

  
पटवारी  
जखोली  
1/2 विभागाध्यक्ष

  
तहसीलदार  
जखोली  
जाखणी-6 अ

  
उपजिलाधिकारी  
जखोली  
जखोली

  
जिलाधिकारी  
जनपद कुशीनगर

द्वारा फ़ैक्स/विशेष वाहक।

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: म-15/2003

दिनांक: अप्रैल 13, 2012

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद-रुद्रप्रयाग।

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकित: 19.02.2012 का अपलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इस जनपद की पुलिस चौकी माई की मढी के मध्यस्थ क्षेत्रान्तर्गत नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि वर्तमान में उक्त पुलिस चौकी भवन/भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्थान माई की मढी में किराये के भवन में स्थापित है चूंकि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या: 2225(71)/XX-1/11/154/ई.ग./2011 दिनांकित: 12.12.2011 के द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में अधिसूचित कर 66(छियासत) अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की अधिसूचना जारी हुई है इन अतिरिक्त राजस्व ग्रामों के सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पुलिस चौकी/थाने से सम्पूर्ण क्षेत्र की लगभग बराबर दूरी होनी आवश्यक है।

आज दिनांक: 13.04.2012 को संयुक्त रूप से पुलिस चौकी माई की मढी की स्थापना हेतु स्थान मयाली में स्थित लो0नि0वि0 के गेस्ट हाउस के सामने बने भूकम्परोधी कक्षा का पर्यवेक्षण करते हुये उक्त दो कक्ष अस्थाई रूप से पुलिस चौकी की स्थापना हेतु उचित पाये गये एवं यह स्थान सम्पूर्ण माई की मढी पुलिस क्षेत्र का मध्यस्थ क्षेत्र भी है। उल्लेखनीय है कि दिनांक: 28.04.2012 से जनपद में यात्रा सीजन प्रारम्भ हो रहा है एवं अब तक शासन के निर्देशानुरूप भूमि/भवन की अनुपलब्धता के कारण उक्त पुलिस चौकी की स्थापना नहीं हो पाई है।

अतः अनुरोध है कि पुलिस चौकी माई की मढी की अस्थाई रूप से स्थापना हेतु स्थान मयाली में लो0नि0वि0 के गेस्ट हाउस के सामने बने भूकम्परोधी कक्ष पुलिस विभाग को आबन्धित करने का कष्ट करें ताकि पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने तक अस्थाई रूप से पुलिस चौकी का संचालन किया जा सके।

13/04  
(विमला गुज्याल)  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

Date

Page

Page

26/10/2013 (12/13) OCLAC

15/13

29/11/2013

Rajbans

D.M.  
27/11/2013

सेवा में,

जिलाधिकारी,

रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषय:- जनपद रूद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र, जखोली के भवन निर्माण हेतु कुल 0.600 है० भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3066/छब्बीस-10(2012-13) दि०-13.6.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम मयाली, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र एवं तहसील जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग के ज०वि०र० खतौनी खाता सं०-35 के खसरा सं०-4047 रकबा 0.627 मध्ये 0.600 है० बंजर भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अधीन तथा गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमत्त होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।



- 8- प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(भास्करानन्द)  
सचिव।

पू0प0संख्या- / समदिनांकित / 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(संतोष बडानी)  
अनुसचिव।

द्वारा फैक्स।  
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: भ-09/2011

दिनांक: जून 30, 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-रुद्रप्रयाग।

विषय: पुलिस चौकी माई की गद्दी(मयाली) के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत भूमि के सम्बन्ध में।

गहोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत अयगत करना है कि रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की गद्दी(मयाली) एवं प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र जखोली के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम मयाली, राज्य उपनिरीक्षक क्षेत्र एवं तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के ज०वि०र०ख०त०नी खाता सं० 35 के खसरा सं०-4047 रकबा 0.627 हे० मध्ये कुल 600 हे० बंजर भूमि शासनादेश संख्या: 2160/XVIII(II)/2013-18(60)/2013 राज्य अनुभाग-2 दिनांक 21 नवम्बर 2013 के द्वारा पुलिस विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित होकर आपके आदेश संख्या: आर-1593/ख०त०नी-10(2012-13) दिनांकित: 20.12.2013 के निर्देशानुसार राज्य अभिलेखों में विभाग के पक्ष में दाखिल-स्वार्जित कर इन्दाज की गई है। (संयाप्रति संलग्न)।

उल्लेख करना है कि इस विभाग में 13 वें दिनांक आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना में स्थान गौरीकुण्ड में पुलिस चौकी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य (स्वीकृत मूल्य रुपये 94.45 लाख) स्वीकृत हुआ था, किन्तु विगत वर्ष उक्त क्षेत्रान्तर्गत आवी भारी आपदा के कारण बदली हुई परिस्थितियों एवं स्थान मयाली में पुलिस चौकी की अनुपलब्धता तथा नियुक्त पुलिस बल के आवासीय/अनावासीय व्यवस्था की अनुपलब्धता एवं उक्तानुसार भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता को देखते हुये पुलिस चौकी गौरीकुण्ड का स्वीकृत कार्य स्थान मयाली में पुलिस चौकी माई की गद्दी के निर्माण हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय/शासन से अनुरोध किया गया था जिस पर शासन द्वारा स्वीकृत कार्य को स्थान मयाली में पुलिस चौकी माई की गद्दी के नाम से किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त सम्बन्ध में स्वीकृत कार्य की कार्यवाही संख्या उत्तराखण्ड पंचायत संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल में अपने पत्र संख्या: 947/कार्य-6/10 दिनांक: 03.06.2014 के द्वारा अयगत करया है कि दिनांक: 23.05.2014 को उनकी निर्माण इकाई के गजदूर स्थान मयाली में पुलिस विभाग की स्वीकृत भूमि का कृदा परीक्षण किये जाने हेतु गये थे तो भूमि को लेकर कुछ ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया, जिससे कार्य में बाधा के साथ-साथ गजदूर कार्य स्थल को छोड़कर चले गये हैं। सम्बन्धित निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य हेतु विविधित भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि सम्बन्धित भूमि का चयन नियमानुसार सम्बन्धित राज्य अधिकारियों की सहमति एवं राज्य अभिलेखों से मिलाव किये जाने के उपरान्त किया गया है एवं ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु विभाग के पास स्थान मयाली क्षेत्र में अन्यत्र विभागीय भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पुलिस चौकी के निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि चयन एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने में भी महीनों का समय लग सकता है जिसके कारण उक्त स्वीकृत निर्माण अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण न होने के कारण निर्माण इकाई को भी कार्य की लागत पुनरीक्षित कराने की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जबकि शासन द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि उपरोक्त कार्य के लिये भविष्य में कोई धनराशि पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

अतः ऐसी परिस्थितियों में अनुरोध है कि पुलिस चौकी माई की गद्दी के निर्माण हेतु स्थान मयाली में उपलब्ध भूमि के विवाद को सुलझाये जाने अथवा इसके एवज में स्थान मयाली में ही प्राथमिकता के आधार पर अन्य निःशुल्क राजकीय भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक: सशुल्क।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

- प्रतिलिपि: पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त राजद्वार में सादर सूचनाएं प्रेषित।
2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्र०/मा०, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनाएं प्रेषित।

प्रेषक,  
उपजिलाधिकारी  
जखोली।

संवामें,  
जिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग।

संख्या 216 / रोकास-2014-15 दिनांक 03 जुलाई 2014

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली भवन निर्माण हेतु कुल 0.600 हे० भूमि गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

सहाय्य,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है, कि शासनादेश संख्या 2160/xviii(i)2013-18(60) 2013 राज्य अनुभाग-2 दिनांक 21 नवम्बर 2013 एवं जिलाधिकारी मधुप्य रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या, 1593/छब्बीस-10 (2012-13) दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के द्वारा ग्राम मयाली के ज० वि० रहित खतौनी खाता सं० 35 के खसरा नम्बर 401, एकका 0.627 मध्ये 0.600 हे० भूमि को जिला रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्नि शमन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण कर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तहसीलदार जखोली द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व विशेषक व चौकी इंचार्ज मयाली द्वारा मौका तस्दीक एवं सीमांकन करने पर पाया कि हस्तान्तरित भूमि भवन निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस चौकी हेतु स्वीकृत भूमि मौके पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूमि के नीचे से भूस्खलन हो रहा है, जिससे भवन निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है। पुलिस विभाग द्वारा भी उक्त भूमि के स्थान पर अन्य भूमि हस्तान्तरण किए जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु जखोली व मयाली के आस पास राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, किन्तु जखोली व मयाली के मध्य वन भूमि उपलब्ध हो सकती है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यमजर पुलिस चौकी मयाली एवं अग्निशमन विभाग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही याचक विभाग (पुलिस विभाग) द्वारा किया जाना उचित होगा।

HC  
fana a pl

  
उप जिलाधिकारी  
जखोली।

Bi-

प्रतिनिधि-पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2-तहसीलदार जखोली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी  
जखोली।

SPAR  
21/7/14

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,  
जयप्रयाग।

प्रेषा में,

उपजिलाधिकारी,  
जखौली।

पत्रांक: म-15/2008

दिनांक: जुलाई 5, 2014

विषय: रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखौली के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ: आचक पत्र संख्या: 216/20का0-2014-15, दिनांकित: 02.07.2014

कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्र का अलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखौली के निर्माण हेतु स्थान मथाली में पूर्व स्वीकृत 0.600 हे० भूमि के लोके पर निर्माण हेतु उपयुक्त न होने तथा विकल्प के तौर पर राज्य सरकार की अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थान जखौली व मथाली के मध्य एक भूमि हस्तांतरित किये जाने के अनुरोध का सुझाव दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि इस विभाग में 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना में स्थान जोशीकुण्ड में पुलिस चौकी के आवासीय/अन्वयासीय भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत मूल्य रुपये 94.45 लाखों स्वीकृत हुआ था, किन्तु विगत वर्ष उक्त क्षेत्रान्तर्गत आधी मारी आपदा के कारण बनी हुई परिस्थितियों एवं स्थान मथाली में पुलिस चौकी की अनुपलब्धता तथा नियुक्त पुलिस बल के आवासीय/अन्वयासीय व्यवस्था की अनुपलब्धता एवं उक्तानुसार भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता को देखते हुए पुलिस चौकी जोशीकुण्ड का स्वीकृत कार्य स्थान मथाली में पुलिस चौकी माई की मण्डी के निर्माण हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय/शासन से अनुरोध किया गया था जिस पर शासन द्वारा स्वीकृत कार्य को स्थान मथाली में पुलिस चौकी माई की मण्डी के नाम से किये जाने की सहमति प्रदान करते हुये रुपये 94.45 लाखों निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पंचायत संसाधन विकास एवं निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जैसा कि वर्तमान में भूमि के लोके पर निर्माण हेतु उपयुक्त न होने के कारण प्रसन्नत निर्माण हेतु प्रवीण भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही किये जाने में सम्भवतः महीनों का समय व्यतीत हो सकता है जिसके कारण उक्त स्वीकृत निर्माण कार्य के अपने निर्धारित समयवधि लक्ष्यों के अनुकूल पूर्ण न हो पाने की बजाय सम्भवतः देर तथा ऐसी परिस्थितियों में भविष्य में सम्बन्धित निर्माण इकाई द्वारा भी कार्य की लागत को पृच्छीकृत करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जबकि शासन द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि उपरोक्त कार्य के लिये भविष्य में कोई धनधरि पुनर्निर्दिष्ट नहीं की जायेगी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अपेक्षा है कि प्रसन्नत परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत भूमि को खालि कहे हुये इसके एवज में स्थान जखौली एवं मथाली के मध्य अथवा आस-पास प्रयोगतया सिविल राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि उपलब्ध न हो तो वह भूमि/यथा राष्ट्रीय पार्क व अन्य जीव अभ्यारणों से मुक्त हो) उपलब्ध कराने हेतु चर्चित भूमि के नक्शा/खसरा, खातीनी आदि अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय के साथ साथ प्रभागीय द्वाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

प्रतिनिधि: जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित की प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. प्रभागीय द्वाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को सूचना सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 54/7-1-2015-800(4245)/2013 दिनांकित: 03.05.2013 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रसन्नत परियोजना के निर्माण हेतु वह भूमि विहित किये जाने की स्थिति में उपजिलाधिकारी स्तर पर उचित उपशमिति से भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करते हुये प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय के उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिनिधि: मृत पर नहीं।

3. क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी जखौली से सम्पर्क कर उपयुक्त भूमि का खसरा कर चर्चित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किये जाने की कार्यवाही करते हुये आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी(मथाली) को उक्तानुसार आवश्यक अनुपालनार्थ।

जीपतीय कार्यालय  
दुधित अधीक्षक रुद्रप्रयाग  
क्रमांक 132/219  
दिनांक 17-7-14

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या-3910 / बीरा-56 (2013-14) दिनांक, जुलाई 15, 2014.

उप जिलाधिकारी,

जखोली।

जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली भवन निर्माण हेतु कुल 0.600हे० भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक- 216/20का०-2014-15 दिनांक 02-07-2014 का अवलोकन करें।

आपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम ग्याली के ज०वि०रहित खतीनी खाता सं०- 35 के खसरा नं० 4047 रकबा 0.627हे० मध्ये 0.600हे० भूमि जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के भवन निर्माण हेतु कुल 0.600हे० भूमि प्रस्तावित घर विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई, किन्तु उक्त प्रस्तावित भूमि मौकों पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूस्खलन वाली भूमि है, जिस पर भवन निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भूमि के बदले अन्यत्र राज्य सरकार की भूमि और इसकी अनुपलब्धता में वन भूमि का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

अतएव प्रस्तावित भूमि का खसरा, नक्शा अन्य वांछित अभिलेख तैयार करवाकर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित।

HC  
for name  
details

Raj

SPR  
16-7-14

अपर जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,  
पुलिस अधीक्षक,  
लुधियाना-रुद्रप्रयाग।

सेवा में,  
उपजिलाधिकारी,  
जखोली।

संख्या: म-15/2009

दिनांक: जुलाई 19, 2014

विषय: रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भाई की भाड़ी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: इस कार्यालय के समसंस्थक पत्र दिनांकित: 05-07-2014 एवं अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या: 2910/20-56(2013-14), दिनांकित: 15-07-2014 के संदर्भ में।

कृपया उपर्युक्त विषयक/सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भाई की भाड़ी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के निर्माण हेतु स्थान मधाली में पूर्व स्वीकृत 0.600 हे० भूमि के नौके पर निर्माण हेतु उपयुक्त न होने तथा विकल्प के तौर पर राज्य सरकार की अन्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण इन भूमि विहित कर प्राथमिकता के आधार पर विहित भूमि के खसत/खसती एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत करना है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता होने तथा आपके स्तर से उपयुक्त/पर्याप्त सिविल राज्य भूमि अथवा इन भूमि विहित न किये जाने के कारण परियोजना के निर्माण में अनावश्यक चिन्ताय हो रहा है, जिसके कारण स्वीकृत परियोजना के समय से निर्माण पूर्ण न होने की दशा में स्वीकृत लागत को पुनर्निश्चित किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी/नगरपालिका परियोजनाओं के निर्माण हेतु इन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, यदि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु इन भूमि विहित कर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है तो इसमें जमीनों का समय व्यतीत हो सकता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों से दृष्टिगत अपेक्षा है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत भूमि को खारिज करते हुये इसके एका में स्थान जखोली एवं मधाली के मध्य अथवा आस-पास प्रथमतया सिविल राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि की विषम परिस्थितियों में लूज उपलब्धता भी न हो तो ऐसी परिस्थितियों में इन भूमिधिया राष्ट्रीय पथ व अन्य जीव अभयारण्यों से मुक्त हो। चयनित करते हुये चयनित भूमि के नक्शा/खसती, खसती आदि अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय के साथ-साथ प्रभागों के जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं प्रभाग, रुद्रप्रयाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

19/7  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

प्रतिक्रिया: जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनाएं एवं इस अनुरोध के साथ कि आपने स्तर से भी सम्बन्धित को प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. प्रभागीय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग वर प्रभाग को मुख्य शनिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 54/7-1-2013-800(4243)/2013 दिनांकित: 03.09.2013 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु इन भूमि विहित किये जाने की स्थिति में उपजिलाधिकारी स्तर पर जटिल उपसिद्धि से भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करते हुये प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिक्रिया मूल पर नहीं।

1. क्षेत्रधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी जखोली से सम्पर्क कर उपयुक्त भूमि का चयन कर चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किये जाने की कार्यवाही करते हुये आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रभारित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भाई की भाड़ी(मधाली) को इस निर्देश के साथ कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु उप जखोली सिविल राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि उपलब्ध न होने की दशा में इन भूमि विहित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य अधिकारियों से वृत्तित/सम्पर्क कर जयके दशा में विहित भूमि के खसत/खसती आदि अभिलेख दिनांकित: 15/07/2014 तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364-233505::

पता :- माई की नदी निकट जवाही बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 1926 / 12-1(2)

दिनांक 12 / 03 / 2015::

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,  
पौड़ी।

विषय :- जनपद रुद्रप्रयाग के स्थान जखोली में रिपोर्टिंग चौकी के भवन निर्माण हेतु 0.260 है० वनभूमि का हस्तान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरण में प्रभावित होने का Girth class VS dia class entry की सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है।

प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	(31-60)	(61-90)	(91-120)	(121-150)	(150)	योग
चीड़	pinus roxburghi	1	3	6	6	16	32
मेहल	pyrus pashia buch-Ham.	1	2	0	1	0	4
काफल	Myrica esculenta	4	0	0	0	0	4
बांज	Quercus Lecotrichophora	0	0	1	0	0	1
लोद	Symplocos paniculata (Thunb) miq	0	1	0	0	0	1

नोट :- (0-10) सेमी० के 2 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

0/2

भवदीय,  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

आज दिनांक 01-09-2014 को प्रधान बन देहाडि रुकी मेहाडि देहाडि  
 जलेकी देहाडि मे उगाइयालसा, पुलिस चौकी / अग्निशमन केन्द्र हेतु राजस्व विभाग /  
 पुलिस विभाग / वन विभाग के द्वारा जालणी नं० 6 (अ) मे कुल 0.26 हे०  
 उंचाला 2640 का मा० मी० मिनटा संयुक्त निरीक्षण क. चयनित की गयी  
 जिसे चयनित भूमि मे विभिन्न फसलिया के बूटों की गणना करे के  
 उपरान्त ब्यास देनी निम्न प्रकार पायी गयी है।

क्र०	फसली	ब्यास देनी
1	गेड हरा लडा	30-40
2	— " —	20-30
3	— " —	30-40
4	— " —	40-50
5	— " —	0-10
6	— " —	20-30
7	— " —	30-40
8	— " —	40-50
9	— " —	50-60
10	— " —	60-70
11	— " —	50-60
12	— " —	30-40
13	— " —	50-60
14	— " —	60-70
15	— " —	40-50
16	— " —	50-60
17	मेहला हरा लडा	20-30
18	नाफला हरा लडा	10-20
19	— " —	10-20
20	— " —	0-10
21	मेहला हरा लडा	40-50
22	नाफला हरा लडा	10-20
23	गेड हरा लडा	30-40
24	नाफला हरा लडा	10-20
25	गेड हरा लडा	40-50
26	— " —	60-70
27	— " —	60-70
28	— " —	30-40
29	— " —	20-30
30	— " —	10-20
31	मेहला हरा लडा	10-20
32	गेद हरा लडा	10-20
33	गेड हरा लडा	40-50
34	— " —	50-60

क्र.सं.	प्रकार	व्यास श्रेणी
35	चौड़ दरा रकड	50-60
36	— 11 —	30-40
37	— 11 —	40-50
38	— 11 —	50-60
39	— 11 —	60-70
40	— 11 —	50-60
41	— 11 —	50-60
42	— 11 —	70-80
43	— 11 —	50-60
44	मेळून दरा रकड	20-30
<u>सांख्यिकी</u>		
1	चौड़ —	33
2	कापड —	05
3	मेळून —	04
4	लोद —	01
5	वैज —	01
कुल वेग =		44 टुकडे

1) (एनएच विभाग)  
प्रतिनिधि  
राज्य  
अधीक्षक

(2) पुलिस विभाग  
★  
(उपनिष्ठा, जांभवे)  
चौड़ प्रभारी  
मायका अहो मयाली  
जनपद-रुद्रप्रयाग

(3) वन विभाग  
बदलेत  
(1) बलचन्द्र सिंह रावत  
वन दराग  
लुधिया वनभाग  
दक्षिणी जखोली रेंज,  
रुद्रप्रयाग  
(2) जोशिलद सिंह (जखोली)  
वन उपनिष्ठा  
लुधिया वन  
दक्षिणी जखोली

Attested  
[Signature]

वन क्षेत्राधिकारी  
दक्षिण जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग